



भारत सरकार
Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबधित वित्त संबंधी स्थायी समिति की (2009-10) की पहली रिपोर्ट,
15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS -
1st REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2009-10),
15TH LOK SABHA RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2010
AUGUST, 2010

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति की (2009-10) की पहली रिपोर्ट,
15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS -
1st REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2009-10),
15TH LOK SABHA RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2010
AUGUST, 2010

विषय-सूची		INDEX		
क्रम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या	SI No. Contents	Page No.
1.	श्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i-ii	1. Statement by Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance.	i-ii
2.	अनुबंध वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों 2009-10 के संबंध में 2 दिसम्बर, 2009 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त संबंधी स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।	1-35	2. Annexure Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2009-10 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 2nd December, 2009.	37-66

आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों (2009-10) से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI PRANAB MUKHERJEE, MINISTER OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 1st REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (15th LOK SABHA) ON DEMANDS FOR GRANTS (2009-10) RELATING TO THE DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

मैं, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन, भाग-II के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73-क के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवा और विनिवेश विभागों से संबंधित पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देने को अपना सौभाग्य मानता हूँ।

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10) relating to the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September, 2004.

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट 2 दिसम्बर, 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट अनुदानों की मांगों (2009-10) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया है और उन्नीस(19) सिफारिशें कीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। ये सिफारिशें मुख्यतया भारतीय विकास आर्थिक सहायता योजना की प्रभावोत्पादकता, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, कई स्वदेशी दक्षताओं की पहचान और विकास के

The 1st Report of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was laid in the Lok Sabha on 2nd December, 2009. The 1st report relates to examination of Demands for Grants (2009-10). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made nineteen (19) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues including, efficacy of the Indian Development

लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम, राजकोषीय और राजस्व घाटा, विकास दर की तुलना में राजकोषीय सुधार/समेकन, विदेशी सहायता का उपयोग न होना, वचनबद्धता प्रभार का भुगतान, वास्तविक मूल्य सूचकांक का निर्माण, बंद पड़े डिमैट लेखे, बैंकिंग केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय, कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण घरेलू खातों की संख्या में बढ़ोत्तरी, क्रेडिट कार्ड सेवाओं संबंधी दिशा-निर्देश/विनियमन, बैंक ड्राफ्ट सुविधा के दुरुपयोग के मामले, बीमा क्षेत्र में शिकायतों का निपटारा, आईआरडीए द्वारा अधिशेष निधि का प्रतिधारण, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भारी मात्रा में बचतों/व्यय न की गई निधियों आदि से संबंधित थीं।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी विवरणियां 24 फरवरी 2010 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थीं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध में दिखायी गयी है।

मैं अनुबंध की विषय-वस्तु को पढ़कर सुनाने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

Economic Assistance Scheme (IDEAS), the Universal Health Insurance Scheme (UHIS), National Skill Development Corporation, measures to identify and develop indigenous skills, Fiscal and Revenue deficit, Fiscal correction/consolidation vis-à-vis growth rate, non-utilization of external assistance and payment of Commitment Charges, building a realistic price index, Frozen Demat Accounts, measures being taken by the Govt. to increase the number of Banking Centres, Banking facilities in underbanked areas opening of new rural accounts by private sector Banks, guidelines/regulating Credit Card services, cases of misuse of Bank Draft facility, grievance redressal in the insurance sector, retention of surplus fund by IRDA, savings/unspent funds of various Ministries/Departments etc.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 24th February 2010. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 1st Report is indicated in **Annexure.**

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that these may be taken as read.

2 दिसंबर, 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में रखी गई (वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएँ और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) की वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
1	1	“समिति को इस बात का खेद है कि आइडियाज का केवल एक भाग अर्थात् एक्विजिब बैंक के जरिए दूसरे देशों को रियायती ऋण श्रृंखला को ही प्रचालनात्मक बनाया गया है और पृथक बजट शीर्ष आवंटित किया गया है। योजना के अन्य घटकों के लिए किए गए आवंटन अर्थात् परियोजना की तैयारी, परियोजना प्रशिक्षण के लिए सहायता इत्यादि (2007-08 में 35.50 करोड़ रुपए, 2008-09 में 5 करोड़ रुपए और 2009-10 में 0.01 करोड़ रुपए) की पूरी राशि अभ्यर्पित कर दी गई है। इसके अलावा, समिति इस योजना की प्रभावकारिता और वांछनीयता को लेकर भी बहुत अनिश्चित है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि इस योजना की समीक्षा की जाए।”	<p>1. बजट घोषणा के कार्यान्वयन के दौरान, वित्त वर्ष 2003-04 में यह योजना केवल ऐसे घटकों के संदर्भ में ही लागू की गई जिनके लिए वित्तीय वचनबद्धताएं “स्टैण्ड-अलोन” आधार पर वित्त मंत्री की शक्तियों की परिधि के भीतर हैं। इसमें एचआईपीसी देशों के ऋण को बढ़े खाते डालना, सहभागी देशों के लिए क्रेडिट श्रृंखलाएं जुटाना और ब्याज घटक को सब्सिडी प्रदान करना शामिल है। आयोजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति ने मई, 2005 में योजना को मंजूरी दी।</p> <p>2. तदनंतर, मसौदा सीसीईए टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय को कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को लेकर कुछ शंकाएं थीं जिनके कारण, इस योजना को संपूर्ण रूप से प्रचालित करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। इसलिए, यह योजना “स्टैण्ड-अलोन” आधार पर विकासशील देशों के लिए क्रेडिट श्रृंखलाएं जारी करने और ब्याज घटक को सब्सिडी देने के विशिष्ट घटकों के संदर्भ में ही कार्यान्वित की जा सकी।</p> <p>3. दिनांक 8-9 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका मंच की शिखर-वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाले वर्ष से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय तौर पर और अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों को 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला देने की वचनबद्धता की। बाद में मंत्रिमंडल ने अफ्रीका को वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 2500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सामान्य क्रेडिट श्रृंखला के अतिरिक्त 2900 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त क्रेडिट श्रृंखला देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।</p> <p>4. पिछले पांच वर्षों में चल रही योजना के कार्यकरण के आधार पर योजना के संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और इस योजना को</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
2	2	“पिछले तीन वर्षों के दौरान यू.एच.आई.एस. आधारित समुदाय के लिए सार्वजनिक क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी के लिए आर्थिक सहायता” शीर्ष के तहत व्यय में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र साधारण बीमा कंपनियों, को अपने उपरिव्यय में कमी करनी चाहिए ताकि उस धन को ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च कर सकें और ग्रामीण क्षेत्र में अधिक शाखाएं खोल सकें, कम प्रीमियम प्रभारित कर सकें और वहां अधिकाधिक लोगों तक पहुंचने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला सकें।	<p>31.03.2010 से अगले पांच वर्षों तक बढ़ाने के लिए आयोजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।</p> <p>5. 2004-05 से 2009-10 के दौरान आइडियाज़ योजना के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के संदर्भ में इस योजना का मूल्यांकन करने के लिए एक्जिम बैंक द्वारा एक स्वतंत्र एजेंसी आईमैक्स (इक्रा मैनेजमेंट कन्सलटेंसी सर्विसेज) को भी नियोजित किया गया है।</p> <p>यूनीवर्सल हेल्थ इश्योरेंस स्कीम (यू.एच.आई.एस.) के तहत, लाभभोगी को प्रीमियम का भुगतान आर्थिक सहायता का निवल होता है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) में संपूर्ण प्रीमियम केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देश के सभी जिलों में एक बार लागू होने के पश्चात् यू.एच.आई.एस. को वापस ले लिया जाएगा।</p> <p>जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार का संबंध है, इश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आई.आर.डी.ए.) ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं का ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व) विनियम, 2002 जारी किया है और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों (पी.एस.आई.सी.) इस संबंध में विशेष अभियान चला रही हैं। इसके अलावा, पी.एल.आई.सी. निरंतर, ग्रामीण, सामाजिक, सूक्ष्म और अन्य जनता (मास) बीमा स्कीमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करती रही है। इस प्रयोजनार्थ पी.एस.आई.सी. विभिन्न साधनों जैसे बैंक-बीमा, एजेंटों, विकास अधिकारियों, कारपोरेट एजेंटों, सूक्ष्म बीमा एजेंटों (स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों) पंचायती राज संस्थानों और सूक्ष्म कार्यालय इत्यादि के नेटवर्क आदि का उपयोग कर रही हैं ताकि ग्रामीण बीमा उत्पादों के बारे में अधिक जागरूकता हो।</p>	स्वीकृत	
3	3	समिति ने अवलोकन किया है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन केन्द्रीय सरकार से इक्विटी सहायता के साथ एक प्राइवेट क्षेत्र के संगठन के रूप में किया गया है। जबकि निगम में प्राइवेट	वित्त मंत्रालय की मंशा अपने आपको इस कार्यक्रम से पृथक रखने की नहीं रही है। इक्विटी पूंजी में अंशदान का उल्लेख बजटीय राशि की तुलना में सरकार के इक्विटी अंशदान में कमी को बताने वाले उत्तर में कर दिया था।	आंशिक रूप से स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		<p>क्षेत्र का योगदान आज की तारीख में 4.05 करोड़ रुपए का बताया गया है, सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का अंशदान प्राइवेट क्षेत्र द्वारा किए गए अंशदान की तुलना में कम है, निगम के प्रति भारत सरकार के इक्विटी अंशदान के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह समिति वित्त मंत्रालय द्वारा निगम के केवल इक्विटी वित्तपोषण तक अपनी भूमिका को सीमित रखने और निगम द्वारा किए जाने वाले परिकल्पित कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से संबंधित नहीं होने के रूख से व्यथित है। समिति ने आशा की थी कि वित्त मंत्रालय इसमें अत्यधिक योगदान देगा और विश्वास था कि इस प्रकार की पहल करने से पूर्व सरकार को प्रशिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत कौशल विकास के विद्यमान स्तर का उपयुक्त मूल्यांकन कार्यान्वित कर लेना चाहिए था और उसके बाद इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित नई पहलों के साथ विभिन्न प्रकार के नए कौशलों को विकसित किए जाने की जरूरत थी। इसलिए, समिति वित्त मंत्रालय, कौशल विकास के लिए नोडल एजेंसियों और योजना आयोग के बीच उपयुक्त समन्वय और परामर्श सुनिश्चित करके देश में कौशल विकास के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करके और उसका उचित कार्यान्वयन करके एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देती है।</p>	<p>वास्तव में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कौशल विकास के बारे में की गई पहलों में पूर्णतया शामिल है। वित्त मंत्री राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का हिस्सा हैं और वित्त सचिव राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड के सदस्य हैं। अपर सचिव (ईए) आर्थिक कार्य विभाग, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के बोर्ड में निदेशकों में से एक हैं और एनएसडीसी द्वारा लिए गए सभी प्रमुख निर्णय और की जाने वाली पहलें वित्त मंत्रालय के साथ गहराई से परामर्श करके की जाती हैं।</p> <p>प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिमाडलिंग के संबंध में, श्री मनीश सब्बरवाल की अध्यक्षता में गठित उप-समिति ने इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षु प्रशिक्षण के गठन की रिमाडलिंग पर श्री मनीश सब्बरवाल की अध्यक्षता के अन्तर्गत गठित उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए डा० नरेद्र जादव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यबल का भी गठन किया गया था। सचिव, योजना आयोग, वित्त सचिव और महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण इस समिति के सदस्य हैं। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।</p> <p>प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम के पुनः माडलिंग पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निम्नानुसार नवीनतम स्थिति सूचित की है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय टिप्पणी का मसौदा कानूनी तथा संवैधानिक दृष्टि से मंत्रिमंडलीय टिप्पणी के मसौदे की जांच के लिए विधि कार्य विभाग को भेजा गया है। ● प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आठ व्यवसायों को शामिल करने हेतु राजपत्र अधिसूचना प्रकाशन हेतु भारत सरकार मुद्रणालय को भेजी गई है। ● अठारह व्यवसायों को शामिल करने हेतु राजपत्र अधिसूचना का मसौदा हिन्दी रूपांतर के लिए विधि मंत्रालय, राजभाषा स्कंध, को भेजा गया है। 		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
4	4	<p>समिति यह जानकर चकित है कि वर्तमान में देश में आईएसओ के पास पंजीकृत कौशल संबंधी पाठ्यक्रमों की संख्या नगण्य है, यह ऐसा तथ्य है जिसे सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी स्वीकार किया है। इसलिए, यह समिति सरकार से अपनी नीतियों की समीक्षा करने और पूरे देश में रोजगार के लिए प्रतीक्षारत बड़ी मात्रा में शिक्षित लेकिन अकुशल व्यक्तियों पर ध्यान देने के प्रयोजन से बहुत से स्वदेशी कौशलों का पता लगाने और उन्हें विकसित करने के लिए समयबद्ध कदम उठाने की सिफारिश करती है। समिति की इच्छा है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में उन्हें छः महीने के अन्दर अवगत कराया जाए।</p>	<p>सरकार ने पहले से ही तीन स्तरीय संस्थागत संरचना की स्थापना की है जिसमें प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल हैं। प्रधानमंत्री की विकास परिषद ने “कौशल विकास पर समन्वित कार्रवाई” के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सिद्धांतों को विरूपित किया है एनएसडीसी से आशा की जाती है कि वह कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करेगा। क्योंकि, निजी क्षेत्र कुशल मानव शक्ति को ग्रहण करने जा रहे हैं, इसलिए पाठ्यक्रम, प्रत्यायन तथा मूल्यांकन से संबंधित मुद्दे क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी) के गठन के जरिए परिकल्पित किए गए हैं।</p> <p>डीजीईएंड टी युवाओं के घरों में कौशल विकास अवसरों को मुहैया कराने के लिए पीपीपी प्रणाली में 1500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 5000 कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। प्रशिक्षुता स्कीम में नए व्यवसायों को समाविष्ट करने के बारे में श्रम मंत्रालय द्वारा डिजाइन किए गए नियोजन योग्य कौशलों के मॉड्यूलर को अपनाए जाने हेतु योजना बनायी गई है। ये मांग के अनुसार आयोजित होने हैं और इनमें ऐसी वास्तुशिल्पीय संरचना है जो स्वयं में निर्बाध है और स्वयं में समाधान करने वाली है।</p> <p>जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है, कौशल विकास पहल स्कीम (एसडीआई) के अन्तर्गत नियोजन योग्य कौशल मॉड्यूलर (एमईएस) पर अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 52 क्षेत्रों को कवर करते हुए नियोजन योग्य कौशल के लिए 1158 मॉड्यूलर विकसित कर लिए गए हैं; ● 22 मूल्यांकन निकायों को पैनल में शामिल किया है; ● इस स्कीम को आरम्भ किए जाने के बाद से (31.3.2010 तक) 6,56,538 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/परीक्षित किया गया है; 	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
5	5	<p>समिति यह नोट कर चिंतित है कि बजट अनुमान 2009-10 के अनुसार स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत अनुमानित है। जहां एक ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (एफआरबीएम अधिनियम) की शर्तों के अनुसार घाटे के स्तरों को कम करने संबंधी प्रगति काफी संतोषजनक नहीं रही है, वहीं राजकोषीय घाटे में, इसके ठीक विपरीत वर्ष 2008-09 के दौरान स.घ.उ. के 6.2 प्रतिशत पर पहुंचने पर तीव्र उछाल आया है। राजकोषीय घाटे में होने वाली बढ़ोत्तरी निम्नलिखित कारकों जैसे वर्धित वैश्विक वस्तु मूल्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों के लिए व्यय में स्पष्ट परिवर्तन तथा वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों से निबटने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की वजह से रही। चूंकि आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान इस प्रकार के विचलन अनिवार्य होते हैं, अतः विचलनों को कम से कम करने की अनिवार्य आवश्यकता होती है जिससे एफआरबीएम अधिनियम की पुनीतता को बनाए रखा जा सके। समिति को यह विश्वास है कि प्रमुख विचलनों की अनुमति देकर एफआरबीएम की पुनीतता और प्रभावोत्पादकता को गंभीरतापूर्वक खतरे में डाला जा रहा है।</p>	<p>● 5724 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया है; स्कीम के कार्यान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए वेबसाइट आधारित साफ्टवेयर तैयार करने हेतु परामर्शक के तौर पर मैसर्स आईएल एंड एफएस नियुक्त किए गए हैं।</p> <p>अधिनियम के तहत सरकार की बाध्यताओं से विचलन की स्थिति में अधिनियम की धारा 7 के तहत वित्त मंत्री को संसद के दोनों सदनों में विवरण देना चाहिए और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके फलस्वरूप विचलन हुआ; यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह विचलन महत्वपूर्ण है तथा वास्तविक अथवा संभाव्य बजटीय परिणामों से संबंधित हैं; तथा उन उपचारात्मक उपायों, जिन्हें सरकार द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है, का ब्योरा देना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में बजट 2010-11 के साथ तीन विवरण अर्थात् बृहत् आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण प्रस्तुत किए गए जिनमें संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन में अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार पर होने वाले दायित्वों से विचलन के आधार स्पष्ट किए गए हैं। सरकार राजकोषीय समेकन की राह पर लौटने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, राजकोषीय घाटा 2008-09 के 7.9 प्रतिशत (सब्सिडियों के बदले में जारी बॉन्डों सहित) से घटकर 2010-11 में स.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत होना अनुमानित है। आगे भी, 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत तक घटने का अनुमान है।</p>	<p>आंशिक रूप से स्वीकृत (आवश्यक उपचारात्मक उपाय पहले से प्रक्रियाधीन है।</p>	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
6	6	<p>यद्यपि यह अधिनियम सरकार को राजकोषीय वहनीयता के मार्ग पर वापस आने के उपचारात्मक उपाय करने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए राजकोषीय और राजस्व घाटे के क्रमिक लक्ष्यों का उल्लेख कर केवल राजकोषीय रूपरेखा ही तैयार की है जिसमें इस संबंध में किए जाने वाले उपायों का कार्य योजना को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। राजकोषीय समायोजन हेतु समीक्षा करने और रूपरेखा तैयार करने का कार्य तेरहवें वित्त आयोग को सौंपना समिति के विचार में एफआरबीएम अधिनियम की शर्तों के अनुरूप नहीं है और यह मुद्दे से किनारा करने की तरह है। स्पष्ट रूप से एफआरबीएम अधिनियम, 2004 पर सरकार के नीतिगत कदम में स्पष्टता का अभाव है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि जब मंत्रालय ने सर्वप्रथम सूचना दी थी कि एफआरबीएम अधिनियम में यदि कोई संशोधन किया जाना हो, तो उस पर तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट की प्राप्ति पर विचार किया जाएगा और तत्पश्चात् यह मान लिया गया था कि राजकोषीय समेकन के मार्ग में शीघ्रातिशीघ्र वापस आने की वचनबद्धता के मद्देनजर अधिनियम में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। समिति इस मुद्दे पर मंत्रालय की दुविधा पर हतोत्साहित है। समिति को सरकार से यह प्रत्याशा है कि वह एफआरबीएम अधिनियम और इसके तहत निर्धारित विवरणों को अधिक स्पष्टता के लिए और सुस्पष्ट तरीके से इस संबंध में अपनी नीतिगत स्थिति प्रस्तुत करे। इस संबंध में समिति को वित्त आयोग की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा है।</p>	<p>वर्ष 2009-10 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने सरकार की नीतिगत अवस्थिति स्पष्ट की थी। सरकार ने मध्यावधि राजकोषीय विवरण में राजकोषीय कार्य योजना को स्पष्ट किया है जिसमें राजकोषीय घाटे को 2009-10 के स.घ.उ. के 6.8 प्रतिशत से घटाकर 2010-11 में स.घ.उ. का 5.5 प्रतिशत तक लाना लक्षित है। तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2010-2015 की अवधि के लिए राजकोषीय समेकन हेतु संशोधित कार्ययोजना तैयार की है। सरकार ने सिद्धांततः राजकोषीय कार्ययोजना संबंधी सिफारिश स्वीकार कर ली है। एफआरबीएम अधिनियम के संशोधन संबंधी विस्तृत प्रस्तावों पर उचित समय पर, जैसा आवश्यक हो, कार्य आरंभ किया जाएगा।</p>	स्वीकृत नहीं किया गया।	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
7	7	समिति ने यह भी पाया कि सरकार ने अधिक व्यय के कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के तरीकों की पहचान किए बिना ही उन्हें प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि मंत्रालय ने सांस्थानिक सुधार उपायों को शुरू करने का विचार किया है, फिर भी समिति इन उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर जोर देती है जिसके बिना बजट में परिकल्पित राजकोषीय समेकन भ्रामक होगा। समिति को पूरी आशा है कि सरकार की राजकोषीय अवस्थिति गड़बड़ नहीं होगी। इस संदर्भ में, समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि वृद्धि दर आवश्यक है और राजकोषीय सुधार/समेकन प्राप्त करने के लिए लक्षित है तथा जिसे इक्विटी और न्याय की नीतियों के साथ संतुलित होना चाहिए।	<p>अब सरकार का केन्द्र बिन्दु राजकोषीय समेकन प्रक्रिया को स्थायी बनाने के लिए सांस्थानिक सुधार उपायों पर भी है। इन उपायों में बजट के सभी पहलुओं जैसे सब्सिडी कर व्यय और विनिवेश को शामिल किया जाएगा।</p> <p>लोक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए शासन सुधार पर विशेष जोर रहेगा। इसमें मुख्य जोर वित्तीय परिव्यय से परिणामों पर अन्तरित होकर यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि बजटीय प्रावधानों का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष में होगा बल्कि उनसे अभिप्रेत परिणाम भी निकलेंगे। प्रक्रिया सुधार के भाग के रूप में, सभी नए व्यय प्रस्तावों की इस बात की रिपोर्ट देनी होगी कि विचाराधीन प्रस्ताव इक्विटी या समायोजन, नवाचार और लोक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को कैसे बढ़ाएगा।</p> <p>संक्षेप में और तुरंत रूप में सरकार किफायती उपायों और मितव्ययिता निर्देशों के माध्यम से आयोजना- भिन्न व्यय को घटाने का प्रयत्न कर रही है। आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय की समीक्षा की जा रही है जिसमें सरकार के सचिव, व्यय विभाग, सभी मंत्रालयों/विभागों के व्यय पर संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के साथ समीक्षा की जा रही है।</p>	स्वीकृत	
8	8	समिति यह देख कर चिन्तित है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान संचयी अनाहरित वचनबद्ध विदेशी सहायता की राशि बढ़ रही है। यह 2003-2004 में 69,254.36 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007-08 के दौरान 80,287.93 करोड़ रुपए हो गयी है। वर्ष 2007-08 के दौरान अनाहरित सहायता पर 124.54 करोड़ रुपए वचनबद्धता प्रभारों के रूप में दिए गए हैं। विदेशी सहायता के उपयोग न किए जाने का मुख्य कारण केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर, दोनों पर ही परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब बताया गया है। समिति यह जान	<p>आर्थिक कार्य विभाग राज्य सरकारों और परियोजना प्राधिकरणों को सुचारू और समयबद्ध प्रक्रिया में बहुपक्षीय ऋण सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता करने हेतु मानीटरिंग और संवीक्षा की एक व्यापक प्रणाली को अपनाता है। इसकी समय-समय पर पुनरीक्षा होती है और चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 से अनेक संशोधन किए गए हैं। यह 31 दिसम्बर, 2009 को पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके उत्तर की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में है। पिछली रिपोर्ट में वर्णित सभी कार्रवाई विषयक मुद्दों को अद्यतन बनाया गया है। केन्द्र और राज्यों के बीच मानीटरिंग और समन्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विश्व बैंक की सभी 63 चल रही परियोजनाओं की पुनरीक्षा भुवनेश्वर (58 परियोजनाएं) में और नई दिल्ली (5 वित्त क्षेत्र की परियोजनाएं) में क्रमशः 24-25 फरवरी को और</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां															
		<p>कर आश्चर्यचकित है कि सरकार वचनबद्धता प्रभारों की राशि को 2004-05 में 165.11 करोड़ रुपए से कम करके 2007-08 में 124.54 करोड़ रुपए करने पर स्वयं में खुश हो रही है। जैसा कि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत करते समय स्वीकार किया गया है कि सरकार द्वारा संशोधित गाड़गिल फार्मूले में राज्यों द्वारा विदेशी सहायता के उपयोग पर पांच प्रतिशत के भार, त्रिपक्षीय पुनरीक्षा बैठकें, तत्परता फिल्टर आदि जैसे उठाए गए कदम स्पष्ट रूप से केवल कागज पर दिखाए गए साधन हैं और परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाए जाने में अपर्याप्त रहे हैं। यह आयोजन पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालते हैं और तदनन्तर मंत्रालय के स्तर पर संवीक्षा पर भी प्रभाव डालते हैं जिन्हें न केवल अपूर्ण बल्कि कमजोर भी पाया गया है। क्योंकि वचनबद्धता प्रभार 100 करोड़ रुपए से अधिक स्तर पर बने रहे हैं, इसलिए समिति आशा करेगी कि संवीक्षा की प्रणाली केन्द्र और राज्यों के बीच और अधिक कारगर और प्रभावी मानीटरिंग तथा समन्वयन सहित अधिक सख्त बनायी जाए। वे सरकार से जितना शीघ्र संभव हो सके वचनबद्धता प्रभारों को कम करके नगण्य स्तरों पर लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश भी करेंगे क्योंकि इससे केवल और उधार लेने की ओर अग्रसर होना पड़ता है जिससे अन्ततोगत्वा ऋण देयता में वृद्धि होती है और घाटा बढ़ता है।</p>	<p>17 मार्च को की गई थी। इसी प्रकार, एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त सभी चल रही 52 परियोजनाओं की पुनरीक्षा मुम्बई में 10-11 फरवरी को की गई है।</p> <p>राज्य स्तर पर पुनरीक्षा बैठकों की प्रणाली को 2009-10 में सरल बना दिया गया है। दिसम्बर, 2009 और 31 मार्च, 2010 के बीच राज्य स्तर पर चार पुनरीक्षाएं कार्यान्वित हुई हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और द्विपक्षीय दाताओं से सहायता वाली परियोजनाओं की राज्य सरकारों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर पुनरीक्षा की गई है। ब्यौर निम्नानुसार हैं</p> <table border="1" data-bbox="920 651 1655 879"> <thead> <tr> <th>राज्य का नाम</th> <th>तारीख</th> <th>पुनरीक्षित परियोजनाओं की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उत्तराखंड</td> <td>17-18 दिसम्बर, 2009</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>उड़ीसा</td> <td>24 फरवरी, 2010</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>राजस्थान</td> <td>6 अप्रैल, 2010</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>मध्य प्रदेश</td> <td>8 अप्रैल, 2010</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table> <p>संवीक्षा को अधिक सख्त बनाने के प्रयोजन से नई दिल्ली में 20 मई, 2010 को संयुक्त आ0का0वि0- विश्व बैंक समस्याजनक परियोजना पुनरीक्षा आयोजित हुई थी। इस बैठक में 17 परियोजनाओं की पुनरीक्षा की गई थी जिसमें 9 परियोजनाएं वास्तव में समस्याजनक परियोजनाएं हैं। आठ और परियोजनाओं की पुनरीक्षा की गई है, जिनमें यह पूर्वानुमानित था कि यदि इनकी बारीकी से पुनरीक्षा/ मानीटरिंग नहीं की गई तो ये परियोजनाएं समस्या/जोखिम वाली श्रेणी में जा सकती है।</p> <p>केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय को और अधिक मजबूत बनाया गया है जिसमें राज्यों में पदाधिकारियों की क्षेत्रीय दौरों की संख्या बढ़ाई गई है। आ0का0वि0 के इस प्रभाग के अधिकारियों ने 16-18 दिसम्बर, 2009 को मुम्बई का दौरा किया था और गुवाहाटी का 18-20 मई, 2010 को, जिसमें उन्होंने लघु एवं मध्यम उद्यम-II परियोजनाओं की पुनरीक्षा की थी। इसी प्रकार, कर्नाटक</p>	राज्य का नाम	तारीख	पुनरीक्षित परियोजनाओं की संख्या	उत्तराखंड	17-18 दिसम्बर, 2009	9	उड़ीसा	24 फरवरी, 2010	4	राजस्थान	6 अप्रैल, 2010	7	मध्य प्रदेश	8 अप्रैल, 2010	16		
राज्य का नाम	तारीख	पुनरीक्षित परियोजनाओं की संख्या																		
उत्तराखंड	17-18 दिसम्बर, 2009	9																		
उड़ीसा	24 फरवरी, 2010	4																		
राजस्थान	6 अप्रैल, 2010	7																		
मध्य प्रदेश	8 अप्रैल, 2010	16																		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>नगरपालिका सुधार परियोजना, कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना और कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई-II की पुनरीक्षा के लिए 11-15 जनवरी, 2010 को कर्नाटक के क्षेत्रीय दौरे किए गए और तमिलनाडु आधिकारिता एवं गरीबी उन्मूलन परियोजना एवं आपातिक सुनामी पुननिर्माण परियोजना (तमिलनाडु का हिस्सा) की पुनरीक्षा के लिए 29-31 मार्च, 2010 को तमिलनाडु (चैन्नई) का दौरा किया; असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के लिए 14-17 फरवरी, 2010 को गुवाहाटी का दौरा किया और उत्तराखंड शहरी सुधार परियोजना, उत्तराखंड ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई, उत्तराखंड विकेद्रीकृत जल विभाजक विकास परियोजना एवं हिमालयी क्षेत्र के लिए जीविका सुधार परियोजना की पुनरीक्षा हेतु 17 दिसम्बर, 2009 को देहरादून का दौरा किया था।</p> <p>इसके अतिरिक्त, परियोजना प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के साथ पत्राचार के माध्यम से नियमित मानीटरिंग की गई है। विश्व बैंक की दिशा में चल रही परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2009 और 31 मार्च, 2010 के बीच 77 बार सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया है। एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में तदनु रूप अवधि के दौरान इनकी संख्या 48 रही है।</p> <p>परियोजना तैयारी की जांच सूची:</p> <p>विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तैयारी की अवस्था के दौरान मानीटरिंग की अन्य प्रणाली ऋण प्रक्रिया की प्रत्येक महत्वपूर्ण अवस्था से पूर्व निर्णायक आधारों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए परियोजना तैयारी के जांच-सूची फिल्टर का प्रयोग करना है। इससे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि परियोजनाओं को अनुमोदन मिलने के पश्चात उन्हें समयबद्ध पद्धति से कार्यान्वित किया जा रहा है। नई परियोजना तैयारी की जांच सूची तैयार कर ली गई है और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट http://finmin.nic.in पर उपलब्ध है।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां																																			
			<p>वचनबद्धता प्रभार की कुल राशि को केवल दो परिस्थितियों में शून्य स्तर पर लाया जा सकता है:- (i) यदि वित्तपोषण करने वाली एजेंसी वचनबद्धता प्रभार की दर शून्य पर ले आए, अथवा (ii) परियोजना के लिए निर्धारित समपूर्ण निधि का संवितरण करार हस्ताक्षरित होने की तारीख से 60 दिन के अन्दर ले लिया जाए। 60 दिन की समय सीमा सभी उधारकर्ता देशों के लिए एक समान है। तथापि यह भी ध्यान दिया जाए कि भुगतान किए जा रहे वचनबद्धता प्रभारों में नियमित रूप से गिरावट आ रही है। वर्तमान में, परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वचनबद्ध निधियां परियोजनाओं के कार्यान्वयन चक्र पर निर्भर करते हुए सामान्यतः 3-5 वर्ष की अवधि में जारी की जाती हैं।</p> <p>चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 से मानीटरिंग प्रणाली को और अधिक गहन बनाया गया है। नई मानीटरिंग प्रणाली का प्रभाव हाल ही की प्रवृत्तियों में दिखाई देता है, वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में क्रमशः 124.54 करोड़ रुपए, 117.38 करोड़ रुपए और 86.10 करोड़ रुपए की राशि के वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2009-10 में आईडीए से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में कोई वचनबद्धता प्रभार अदा नहीं किया गया है। निम्नलिखित सारणी वचनबद्धता प्रभारों में कमी को प्रकट करती है जो विभाग द्वारा अपनायी गई कठोर मानीटरिंग प्रणाली का एक प्रतिबिम्ब है।</p> <p>वर्ष 2007-08 से 2009-2010 तक स्रोत वार वचनबद्धता प्रभारों का भुगतान</p> <p style="text-align: right;">(करोड़ रुपए में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र०सं०</th> <th>दाता/देश/एजेंसी</th> <th>2007-08</th> <th>2008-09</th> <th>2009-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>एशियाई विकास बैंक</td> <td>62.55</td> <td>62.63</td> <td>53.26</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>जर्मनी</td> <td>1.72</td> <td>4.17</td> <td>5.57</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>फ्रांस</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>आईबीआरडी</td> <td>35.49</td> <td>35.56</td> <td>27.27</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>आईडीए</td> <td>24.77</td> <td>15.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जोड़</td> <td>124.53</td> <td>117.38</td> <td>86.10</td> </tr> </tbody> </table>	क्र०सं०	दाता/देश/एजेंसी	2007-08	2008-09	2009-10	1.	एशियाई विकास बैंक	62.55	62.63	53.26	2.	जर्मनी	1.72	4.17	5.57	3.	फ्रांस	0.00	0.00	0.00	4.	आईबीआरडी	35.49	35.56	27.27	5.	आईडीए	24.77	15.02	0.00		जोड़	124.53	117.38	86.10		
क्र०सं०	दाता/देश/एजेंसी	2007-08	2008-09	2009-10																																				
1.	एशियाई विकास बैंक	62.55	62.63	53.26																																				
2.	जर्मनी	1.72	4.17	5.57																																				
3.	फ्रांस	0.00	0.00	0.00																																				
4.	आईबीआरडी	35.49	35.56	27.27																																				
5.	आईडीए	24.77	15.02	0.00																																				
	जोड़	124.53	117.38	86.10																																				

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
9	9	<p>समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि जहां थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापित हेडलाइन मुद्रास्फीति में नवम्बर, 2008 से सितम्बर, 2009 तक तेजी से गिरावट (8.40% से 0.50%) हुई है, वहीं औद्योगिक कामगारों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इसी अवधि में काफी वृद्धि (क्रमशः 10.45% से 11.64% और 11.35% से 12.97%) हुई है। इससे विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है जिसमें मुद्रास्फीति की दर में तो गिरावट देखी जा रही है जबकि बाज़ार में वास्तविक कीमते तेजी से बढ़ रही हैं। सूचकांकों में ऐसे भ्रामक उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण यथार्थपरक/प्रातिनिधिक मूल्य सूचकांक का अभाव होना है। जैसाकि वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में भी कहा गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) के रूप में यथार्थपरक/प्रातिनिधिक सूचकांक के संकलन की सिफारिश की थी। मूल्य सूचकांकों की घट-बढ़ में देखे जा रहे रूख द्वारा पैदा की गई भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक होने के चलते, समिति चाहती है कि यथार्थपरक मूल्य सूचकांक तैयार करने की राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इससे सरकार अपनी कार्रवाई को ऐसे रूप में पेश करने में समर्थ हो पाएगी जिससे उनकी वित्तीय और मौद्रिक नीतियां विकृत न हों। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई प्रगति से अवगत कराया जाए।</p>	<p>भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-शहरी) और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-ग्रामीण) की नई श्रृंखला के संकलन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की सिफारिश पर पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। सीपीआई (शहरी) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए तथा अखिल भारतीय स्तर पर भी संकलित किया जाएगा। सीपीआई (शहरी) के भारांश आरेख (खपत पैटर्न) उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (2004-05) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के परिणामों से तैयार किए गए हैं। 9 लाख से अधिक जनसंख्या (2001 जनगणना) वाले सभी शहर/नगर और उनमें शामिल न किए गए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों का सप्रयोजन चयन किया गया। सभी 310 शहरों का चयन सप्रयोजन अथवा यादृच्छिक आधार पर किया गया है जहां से 1114 कोटेशन (मूल्य अनुसूचियां) हर महीने मांगे जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (एफओडी) द्वारा नियमित रूप से मूल्य और किराए संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। आधार वर्ष के चयन और आधार वर्ष मूल्यों के संकलन के बाद, सीपीआई (शहरी) की नई श्रृंखला संकलित की जाएगी। आशा है कि सीपीआई (शहरी) के परीक्षण सूचकांक 2010 में उपलब्ध होंगे। जहां तक सीपीआई (ग्रामीण) का संबंध है, यह भी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा समस्त भारत के लिए संकलित किया जाएगा। सीपीआई (ग्रामीण) के भारांश आरेख उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (2004-05) के एनएसएस के 61वें दौर के परिणामों से तैयार किए गए हैं। कार्यभार को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने के लिए और इस तथ्य को देखते हुए कि सीपीआई (ग्रामीण) देश की समस्त ग्रामीण जनता के लिए मूल्य-परिवर्तन की स्थिति बताएगा, अखिल भारतीय स्तर पर कुल 1183 गांवों का चयन किया गया है। गांवों के चयन का मुख्य मापदंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी जिलों का प्रतिनिधित्व रखना है और इसलिए</p>	<p>स्वीकृत। यह सामग्री केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दी है।</p>	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
10	10	<p>पैन अननुपालक रोक लगाए गए खाते की उचित जांच करते हुए और कपटपूर्ण मंशा, यदि कोई हो, को निवारित करते हुए रोक लगे डिमैट खातों का संचालन करने हेतु निक्षेपागार अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में उपयुक्त सुरक्षा उपाय करके वास्तविक खाताधारकों का हित सुनिश्चित करना।</p>	<p>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर समायोजित प्रत्येक जिले की विभिन्न तहसीलों से दो गांवों को यादृच्छिक तौर पर चुना गया है।</p> <p>चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्य संग्रहण के लिए एनएसएसओ (एफओडी) के क्षेत्रीय अन्वेषक उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। एनएसएसओ (एफओडी) द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के बाद, मूल्य संबंधी आंकड़ों के संग्रहण का कार्य अक्टूबर, 2009 से शुरू हो गया है। आशा है कि सीपीआई (ग्रामीण) के परीक्षण सूचकांक वर्ष 2011 की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएंगे।</p> <p>लाभानुभोगी मालिकों को पैन उपलब्ध कराने के लिए सूचित करने तथा रोक लगाए गए खातों को सक्रिय करने के प्रयास किए गए हैं। दोनों निक्षेपागारों द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार, रोक लगाए गए खातों की कुल संख्या 1/1/07 की स्थिति के अनुसार 43.5 लाख से कुछ अधिक खातों से अत्यधिक कम होकर 25.05.2010 को लगभग 5.4 लाख रह गई है। सादृश रूप से, रोक लगाए गए खातों में आस्तियों का मूल्य इसी अवधि के लिए लगभग 638318 करोड़ रुपए से कम होकर 7101 करोड़ रुपए रह गया है। 25 मई, 2010 की स्थिति के अनुसार निक्षेपागारों से प्राप्त रोक लगाए गए डिमैट खातों की प्रास्थिति संबंधी ब्यौरे सारणी 1 में दिए गए हैं :-</p> <p>प्रतिभूति कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव को फिलहाल आर्थिक कार्य विभाग में अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें यह प्रस्ताव भी शामिल है कि निक्षेपागारों में रोक लगाए गए खातों को अदावी घोषित किया जाए ताकि उनकी जब्ती पर विचार किया जा सके और उनसे होने वाली आयों को भारत की समेकित निधि में जमा कराया जाए। जमाराशियों की जब्ती पर निर्णय लेने से पूर्व उचित सूझ वाली विस्तृत प्रक्रिया के जरिए वास्तविक खाताधारकों के हित के रक्षणार्थ उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, जो एक विनिर्दिष्ट अवधि के</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>लिए अदावित रहती हैं, संक्षेप में, निम्न प्रकार प्रस्तावित किया जा रहा है :-</p> <p>क. ऐसी प्रतिभूतियों को पंद्रह दिनों के भीतर सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले आयुक्त के खाते में अंतरित करना।</p> <p>ख. बदले में, आयुक्त सम्यक् तत्परता बरतेगा जिसमें प्रतिभूतियों के अदावित स्वरूप के बारे में एक युक्तिसंगत धारणा बनाने से पूर्व नोटिस जारी करना तथा तत्पश्चात ऐसी प्रतिभूतियों को अदावित प्रतिभूतियां घोषित करना तथा इन्हें सभी बाधाओं से मुक्त केन्द्र सरकार के पास जब्त करना शामिल है।</p> <p>ग. बिक्री की तिथि (केन्द्र सरकार या नामित निकाय द्वारा निर्णीत) के पश्चात, बिक्री से प्राप्तियों को भारत की समेकित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा।</p> <p>घ. आयुक्त को कतिपय मामलों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां विहित होंगी जिनमें किसी व्यक्ति को सम्मन करना तथा उसकी उपस्थिति प्रवर्तित करना, दस्तावेजों की खोज तथा प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना, शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय कार्यालय से सरकारी अभिलेख या प्रति की मांग करना, साक्ष्यों या दस्तावेजों इत्यादि के परीक्षण के लिए अधिकार पत्र जारी करना शामिल है।</p> <p>ङ. विवाद, जिनमें आयुक्त द्वारा सीएफआई को अदावित प्रतिभूतियों की बिक्री प्राप्तियों के अंतरण के पश्चात उत्पन्न होने वाले दावे शामिल हैं, की सुनवाई प्रतिभूति अपील अधिकरण द्वारा की जाएगी तथा तत्पश्चात उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होगी।</p> <p>सीबीडीटी ने सूचित किया है कि आयकर विभाग रोक लगाए गए 6385 डीमैट खातों की बाबत जांच कर रहा है जिनमें लगभग 10</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			लाख रुपए से अधिक के अधिशेष थे। ये जांचें परिपूर्णता के विभिन्न चरणों पर हैं और जो जांच परिपूर्ण हो गई हैं उनके निष्कर्ष उनके आधिकारिक निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर दिए गए हैं ताकि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करते हुए पता लगाई गई अप्रकट आय/निवेशों यदि कोई हों, पर कर लगाया जा सके/कार्रवाई की जा सके। शेष मामले में जांच का उनकी तार्किक परिणति तक परिशीलन किया जा रहा है।		

सारणी 1

25 मई, 2010 की स्थिति के अनुसार निक्षेपागारों में रोक लगाए डीमैट खाते

निक्षेपागार का नाम	दी गई तिथि को खातों की कुल संख्या	खातों की संख्या जो पैन अनुपालक हैं	खातों की संख्या जो 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार पैन अनुपालक (रोक लगाए गए) नहीं थे	खातों की संख्या जिन पर 1.1.2007 से रोक हटा दी गई है	दी गई तिथि को रोक लगाए गए खातों की संख्या	कॉलम संख्या 3 में से शून्य धारिता वाले खातों की संख्या	कॉलम 3 में से धारिता वाले खातों की संख्या	दी गई तिथि को कॉलम संख्या 5 के लिए धारिताओं का मूल्य (करोड़ रुपए)
	1	क	ख	2	3	4	5 = 3-4	6
सीडीएसएल	6,685,928	6,604,124	606,945	525,141	81,804	3,479	78,325	759.43
एनएसडीएल	1,06,18,514	1,01,56,404	37,44,849	32,82,739	4,62,110	17,043	4,45,067	6,341.14

सीडीएसएल : केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लिमिटेड

एनएसडीएल : राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
11	11	जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक सुविधा वाले केन्द्रों के राज्य-वार वितरण संबंधी तिमाही विवरणियों में प्रकट किया गया, देश में बैंकिंग के विस्तार का वर्तमान स्वरूप बहुत ही असमान है, क्योंकि 28,232 बैंकिंग केन्द्रों पर मात्र एक शाखा है तथा 61 केन्द्रों पर 100 से अधिक शाखाएं हैं। समिति यह जानना चाहेगी कि सरकार/आरबीआई नगण्य बैंक उपस्थिति वाले क्षेत्रों में बैंकिंग केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। यद्यपि, सरकार और आरबीआई ने बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं में वृद्धि के लिए अनेक उपाय करने के प्रस्तावों का उल्लेख किया है, समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि देश के 103 बैंक रहित खण्डों में से मात्र 13 खण्डों में दिसम्बर, 2009 तक बैंक शाखाएं होने का अनुमान है। यद्यपि, वित्त मंत्री ने अगले तीन वर्षों के भीतर बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करने का आश्वासन दिया है, फिर भी मंत्रालय ने आश्चर्यजनक रूप से चिह्नित 103 खण्डों सहित बैंक रहित क्षेत्रों को कवर करने के लिए कोई विशेष समय-सीमा अथवा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। समिति सरकार से उम्मीद करती है कि वह एक निर्धारित समयवधि में दूर-दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। चूंकि, सरकारी क्षेत्र के बैंक संगत रूप से अपनी लाभप्रदता में सुधार चाहते हैं फिर भी सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस संदर्भ में, समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि सरकार को ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार को सुकर बनाना चाहिए, क्योंकि ये	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 31,699 ग्रामीण शाखाएं, 19,082 अर्धशहरी शाखाएं, 16,616 शहरी शाखाएं तथा 15,013 महानगरीय शाखाएं हैं। प्रति शाखा औसत जनसंख्या 14,000 है। देश में 375 कम बैंक सुविधा वाले जिले तथा 99 बैंक रहित खण्ड हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कम बैंक सुविधा वाले जिलों की एक सूची बैंकों को अग्रपिठ की है ताकि वे ऐसे जिलों में शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रों की पहचान कर सकें। 99 बैंक रहित खण्डों में से 86 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। इस मामले को संबंधित बैंकों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन खण्डों में 31.3.2010 तक शाखाएं खोलने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय प्रगति की पाक्षिक निगरानी करता है और इन बैंक रहित खण्डों में बैंक शाखाएं अथवा/और शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी तंत्र के जरिए बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है। बैंक रहित खण्डों में से 86 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। इस मामले को संबंधित बैंकों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के इन खण्डों में 31.3.2010 तक शाखाएं खोलने के लिए उठाया गया है। वित्त मंत्रालय प्रगति की पाक्षिक निगरानी करता है और इन बैंक रहित खण्डों में बैंक शाखाएं अथवा/और शाखा रहित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी तंत्र के जरिए बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विद्यमान शाखा प्राधिकार नीति को उदार बनाया है। दिनांक 1 दिसम्बर, 2009 के अपने परिपत्र के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को टीयर-3 से टीयर-6 केन्द्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की जनसंख्या वाले) में, प्रत्येक मामले में रिपोर्टिंग के अध्यक्षीन, आरबीआई से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना ही शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा, बैंकों को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी केन्द्रों में आरबीआई की अनुमति लिए बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है।		31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार, देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल 86,777 शाखाएं हैं, जिनमें से 32,301 (37.2%) ग्रामीण क्षेत्रों में, 20,488 (20.6%) अर्द्धशहरी क्षेत्रों में, 17,881 (20.6%) शहरी क्षेत्रों में तथा 16,101 (18.6%) महानगरीय क्षेत्रों में हैं। अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या देश में शाखाओं की कुल संख्या का लगभग 61% है। फिलहाल, देश में 89 बैंक रहित खण्ड हैं जिनमें 80 पूर्वोत्तर क्षेत्र में, 5 झारखण्ड राज्य में तथा 4 जम्मू एवं कश्मीर में हैं। बैंक रहित खण्डों में शाखाएं खोलने के लिए एसएलबीसी प्रायोजक बैंक, आरबीआई और राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाने के अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे भी स्थानीय पुलिस स्टेशनों के आधिमानतः निवृत्त स्थित सरकारी भवनों में शाखाओं हेतु परिसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इस मामले को उठाएं। बैंकिंग सुविधाओं अर्थात् करेंसी चेस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 'सहमत'

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>अपने विशिष्ट लाभों से, विशेषकर सहकारी बैंकों की असफलता के आलोक में, ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी प्रणाली के रूप में अब भी विद्यमान हैं।</p>	<p>इसके अलावा, आरबीआई ने शाखा प्राधिकार नीति को शिथिल किया है जिसके अंतर्गत सरकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना उनके द्वारा चिह्नित केन्द्रों/स्थानों पर स्थलेतर एटीएम स्थापित करने की भी अनुमति दी गई है। इससे बैंक रहित खण्डों में बैंकिंग के नेटवर्क का विस्तार होने की आशा है। इसके अलावा, आरबीआई की उप गवर्नर सुश्री उषा थोराट की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने प्रत्येक जिले के अग्रणी बैंकों को 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों में मार्च 2011 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अगले दो वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2011 तक, 2000 नई शाखाएं खोलने की सलाह दी है।</p> <p>सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने भी दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के प्रयोग के द्वारा, व्यवसाय सम्पर्क माडल के माध्यम से प्रायोगिक परियोजनाएं शुरु की हैं।</p>		<p>केन्द्रों पर विदेशी विनिमय पटल और सरकारी व्यावसायिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना, जो बैंकों द्वारा आर्थिक रूप से अर्थक्षम नहीं पाई गई है, निरूपित की गई थी जिसमें राज्य सरकारों से आवश्यक परिसर और अन्य संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना अपेक्षित था। रिजर्व बैंक अपने अंशदान के रूप में, एकबारगी पूंजी लागत तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा के अनुसार पांच वर्षों की सीमित अवधि के लिए प्रति वर्ष भारित लागत वहन करेगी। प्रगति की निगरानी एसएलबीसी के साथ-समय के नियमित अन्तराल पर की जा रही है।</p> <p>2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय समावेशन योजना की रूपरेखा को अधिकतर बैंकों/एसएलबीसी द्वारा 31 मार्च, 2010 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन योजनाओं की परिचालन से पूर्व आरबीआई द्वारा बैंकों के साथ विस्तार पूर्वक समीक्षा की जा रही है। एसएलबीसी संयोजक</p>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
					<p>बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकारों, आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा सुकर बनाने के लिए इन वित्तीय समावेशन योजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।</p> <p>बैंकों को सलाह दी गई है कि वे व्यवसाय सम्पर्की माडल (बीसी) के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का चयन करें, अपेक्षित हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद करें, राज्य-वार अपने व्यवसाय सम्पर्की की पहचान करें तथा समयबद्ध रूप में अपनी वित्तीय समावेशन योजना तैयार करें। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे राज्य सरकारों से सम्पर्क करने का प्रयास करें तथा यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ भी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराए जाए ताकि वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए अर्थक्षम तथा ग्रामीणों के लिए आकर्षक बन सके। एसएलबीसी संयोजक बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए प्रस्तावति 2000 से अधिक की जनसंख्या (2001 की</p>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
12	12	<p>आश्चर्य की बात है कि वित्त मंत्रालय के पास यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि वर्ष 2006 में शुरु किए गए बैंकिंग संपर्की/बैंकिंग सुविधाप्रदाता (बीसी/बीएफ) मॉडल ने, जिसके अंतर्गत बैंक को गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि की संवाएं लेने के लिए अनुमति है, कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं पहुँचाने में किस सीमा तक कार्य किया है। मंत्रालय की प्रस्तुति के अनुसार, वित्तीय समावेशन के साधन के रूप में इस मॉडल की सफलता के लिए बैंक शाखाओं की तुलना में बीसी/बीएफ की सार्थकता और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं की सार्थकता आदि पहलुओं पर अभी गौर किया जाना है। यह समिति अपेक्षा करती है कि वित्तीय समावेशन के लिए इस माडल की सफलता के विधनों को समयवद्ध रूप से निपटाया जाए। यह समिति इस मॉडल की परिचालनात्मक ब्यौरों और कम बैंकिंग पहुँच वाले क्षेत्रों में पहुँच सुगम करवाने में इसकी सफलता से अवगत होना चाहती है।</p>	<p>बैंकिंग संपर्की/बैंकिंग सुविधा प्रदाता (बीसी/बीएफ) मॉडल ने गरीबों और संगठित वित्तीय प्रणाली के बीच करीबी संबंध सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक की एक महत्वपूर्ण पहल है। वर्ष 2006 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों, धारा 25 की कंपनियां और अन्य नागरिक समिति संगठनों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबार संपर्की के रूप में कार्य करने की अनुमति दी थी।</p> <p>यद्यपि बीसी मॉडल ने कार्य करना शुरु कर दिया है, बीसी के बेहतर प्रशिक्षण द्वारा, सहित, इसकी प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए इसे और अनुरूप बनाने और इसकी समुचित निगरानी करने की आवश्यकता है। हाल में, आरबीआई ने, व्यक्तिगत किराना/दवा/उचित मूल्य दूकानमालिकों, व्यक्तिगत पीसीओ परिचालकों, लघु बचत स्कीमों और बीमा कंपनियों के एजेंटों, पेट्रोल पंप मालिकों, सेवा निवृत्त शिक्षकों और बैंक संबद्ध स्वयं सहायता समूहों को बीसी के रूप में नियुक्त करने के लिए बैंकों को अनुमति देकर बीसी मॉडल के कार्य क्षेत्र को और बढ़ाकर दिया है। बीसी मॉडल की सार्थकता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए बैंकों को पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से युक्तिसंगत सेवा प्रभार लेने की भी अनुमति दे दी है। इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह इस कार्यक्षेत्र की सिर्फ एक नकारात्मक सूची, जो बीसी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, देकर पूरा लचीलापन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा।</p>		<p>जनगणना के अनुसार) वाले निवास स्थानों की संख्या लगभग 72,300 है।</p> <p>यह बीसी माडल गरीबों और संगठित वित्तीय प्रणाली के बीच करीबी संबंध सुनिश्चित करता है। मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने 53382 गाँवों को कवर करते हुए 2310 बीसी को नियोजित करने की सूचना दी है। इसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों ने 2128 बीसी; निजी क्षेत्र बैंकों ने 172 बीसी और विदेशी बैंकों ने 1 बीसी को नियुक्त किया है। कारोबार संपर्की मॉडल की समीक्षा के उद्देश्य से स्थापित कार्य समूहों की सिफारिशों के आधार पर, कुछ अतिरिक्त समूहों जैसे (i) व्यक्तिगत किराना/दवा/उचित मूल्य दूकान मालिकों, (ii) व्यापारितागत पीसीओ परिचालकों, (iii) भारत सरकार के लघु बचत स्कीमों/ बीमा कंपनियों के एजेंटों, (iv) पेट्रोल पंप मालिकों, (v) सेवा निवृत्त शिक्षकों और (vi) बैंक संबद्ध सुसंचालित स्वयं सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकारियों को बैंकों द्वारा</p>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
					<p>कारबार संपर्की के रूप में सेवा लेने की अनुमति दी है। इससे बैंकों की वित्तीय समावेशन प्रयासों को और बड़े स्तर पर करने में मदद मिलने की अपेक्षा है। इसके अलावा, बीसी की सार्थकता में सुधार लाने को ध्यान में रखते हुए बैंकों को बीसी मॉडल द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों से परादर्शी तरीके से युक्तिसंगत प्रभार लेने की अनुमति दे दी है। चूंकि दिशा निर्देशों में ये संशोधन हाल ही में किए गए हैं, अपेक्षा है कि बीसी मॉडल के कार्यान्वयन को आने वाले दिनों में उच्चतर स्तर पर किया जाएगा।</p> <p>इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2010-11 की वार्षिक नीति में, यह घोषणा की गयी है कि बैंकों के सुविधाजनक स्तर और समुचित सावधानी के अधीन, बैंक द्वारा सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) सहित किसी भी व्यक्ति को बीसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।</p>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
13	13	जहाँ, ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, वित्तीय समावेशन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में वर्ष 2009 के अंतरिम बजट में यथा यथा उद्घोषित, ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं में 250 खाताओं को जोड़ने के लक्ष्य को अपना रहे हैं। समिति को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा नए ग्रामीण खातों से संबंधित जो सूचना दी गई है वह अपूर्ण और अपर्याप्त है। यह मंत्रालय की निगरानी की कमी दर्शाता है। स्पष्ट है कि न तो वित्त मंत्रालय और न ही भारतीय बैंक संघ के पास तैयार आंकड़े हैं, जो ग्रामीण परिवारों के खातों को बढ़ाने पर बजट घोषणा का निजी बैंकों ने किस सीमा तक अनुसरण किया है, दर्शाता हो। यह समिति, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूरा किए जाने वाले अधिदेश के संबंध में सरकार की	<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए शाखा प्राधिकरण मानदण्डों को शिथिल किया है यह माना गया है कि ग्रामीण और बैंकरहित क्षेत्रों में शाखा खोलने में प्रदर्शन, अन्य क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है।</p> <p>31 दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण परिवार खातों के खोलने के संबंध में, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे अनुबंध-क में दिए गए हैं:-</p> <p>आईबीए ने सूचित किया है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है और सरकार प्रायोजित स्कीमों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) भुगतानों इत्यादि के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है।</p>		ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुँच बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हाल में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सूचित करने के अध्यक्षीन, प्रत्येक मामले में आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना टियर3 से टियर6 केन्द्रों में (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की जनसंख्या वाले केन्द्रों) शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा, बैंकों को उत्तरी पूर्वी
अनुबंध-क					
क्र. सं.	बैंक का नाम		ग्रामीण/अर्द्ध शहरी शाखाओं की सं.	31.12.2009 तक खोले गए ग्रामीण खाताधारकों की सं.	
1.	कर्नाटक बैंक		184	11078	
2.	तमिनाडु मर्केटाईल		132	23642	
3.	एचडीएफसी बैंक		414	240767	
4.	एक्सिस बैंक		243	100724	
5.	कारूर वैश्य बैंक		34788		
6.	साउथ इंडियन बैंक			63105	
7.	कोटक महिन्द्रा बैंक		56	466	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
14	14	<p>गंभीरता की कमी और शिथिलता की घोर निन्दा करती है। समिति चाहेगी कि सरकार अविलंब संबंधित सूचना प्राप्त करके सौंपे। समिति का यह भी विचार है कि ग्रामीण शाखा खोलने के अनिच्छुक बैंकों के लिए एक दण्डात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस लिए यह अनुशंसा करती है कि सरकार/ आरबीआई ग्रामीण क्षेत्रों में और शाखाएं खोलने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए नए कड़े नियम बनाए।</p> <p>वर्ष 2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस वर्ष प्राप्त कुल शिकायतों में से क्रेडिट कार्ड संबंधी शिकायतें 25.32% थीं। पिछले वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों के संबंध में बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में प्राप्त कुल शिकायतों में से क्रेडिट कार्ड के संबंध में निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की क्रमशः 22.10% तथा 50.37% शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इससे यह पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड संबंधित शिकायतों के मामले में बैंकिंग सेवाएं अत्यधिक असंतोषजनक हैं। क्रेडिट कार्डों के संबंध में शिकायतों के एक बड़े प्रतिशत के बावजूद, यह आश्चर्यजनक है कि इस संबंध में भारतीय</p>	<p>भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों तथा बैंकिंग ओम्बड्समैन के कार्यालयों को प्राप्त शिकायतों के आधार पर बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में एक अध्ययन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 23 जुलाई, 2008 को बैंकों को एक विस्तृत परिपत्र जारी किया गया था। 23 जुलाई, 2008 के उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अनुदेशों को बैंकों के क्रेडिट कार्ड परिचालनों से संबंधित 01 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र में शामिल किया गया है। बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड परिचालनों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, जैसाकि 01 जुलाई, 2009 के मास्टर परिपत्र में दिया गया है, नीचे दिए गए हैं:</p>	स्वीकृत	<p>राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण अर्द्धशहरी एवं शहरी केन्द्रों में आरबीआई की पूर्वअनुमति के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दी है। आरबीआई ने अपनी शाखा प्राधिकार नीति को भी शिथिल किया है, जिसके अंतर्गत एससीबी, आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना उनके द्वारा पहचान किए गए केन्द्रों/जगहों पर बैंक इतर एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी है। इससे बैंकिंग नेटवर्क का और विस्तार होने की संभावना है।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड परिचालन संबंधी मास्टर परिपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारण किया गया है कि बैंकों को विभिन्न परिस्थितियों के तहत क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित ब्याज दरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए, अपने सभी पत्राचार में ग्राहक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए, शिकायत निवारण हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए, ऋण एकत्र करने, आदि में उचित प्रथा का अनुपालन करना चाहिए।</p>

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>रिजर्व बैंक के अध्ययन में किसी प्रकार की विनियामक चूक का खुलासा नहीं किया गया है। समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों तथा जनसाधारण की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। समिति का यह मत है कि क्रेडिट कार्ड/डेबिट सेवाओं का विपणन तथा प्रचालन बहुत ही जबरदस्त और स्वार्थपूर्ण ढंग से उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखे बिना किया जा रहा है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि कार्ड सेवाओं को विनियमित करने संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों को अधिक बड़ा तथा उपभोक्ता अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों द्वारा लगाई गई मुख्य निबंधन व शर्तें उपभोक्ताओं के लाभ के लिए स्पष्ट अक्षरों में मुद्रित की जानी चाहिए तथा स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।</p>	<p>(क) कार्ड जारी करना क. बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विशेषतः छात्रों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनके स्वतंत्र वित्तीय साधन नहीं हैं, को कार्ड जारी करते समय ऋण जोखिम का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करें। ऍड-ऑन कार्ड अर्थात् ऐसे कार्ड जो मुख्य कार्ड के अनुषंगी हैं, इस सुस्पष्ट शर्त पर जारी किए जा सकते हैं कि देनदारी प्रधान कार्डधारक की होगी। ख. चूंकि अनेक क्रेडिट कार्ड रखने से किसी भी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कुल ऋण में वृद्धि होती है, अतः बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे कार्डधारक द्वारा स्वयं की गई घोषणा/दी गई ऋण सूचना के आधर पर अन्य बैंकों से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही ऋण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड के ग्राहक के लिए ऋण-सीमा निर्धारित करें। ग. कार्ड जारी करते समय, क्रेडिट कार्ड के निर्गम और उपयोग की शर्तें स्पष्ट और सरल भाषा (वरीयतः अंग्रेजी, हिन्दी या स्थानीय भाषा) में कार्ड के उपयोगकर्ता के लिए समझने योग्य रूप में निर्दिष्ट की जानी चाहिए। अनुबंध में दी गई शर्तों के मानक सेट के रूप में नामित सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्तों (एमआइटीसी) की ओर संभावित ग्राहक/ग्राहकों का सभी चरणों पर अर्थात् विपणन के दौरान, आवेदन करते समय, स्वीकृति के स्तर (स्वागत किट) पर और बाद के महत्वपूर्ण पत्राचार आदि में विशिष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहिए तथा वे विज्ञापित की जानी चाहिए।</p> <p>(ख) ब्याज दरें और अन्य प्रभार क्रेडिट कार्ड देयताएं गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण के स्वरूप की होती हैं, अतः अग्रिमों पर ब्याज की दरों से संबंधित मास्टर परिपत्र के अनुसार बैंकों के पास अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर का संदर्भ लिए बिना तथा उनकी मात्रा को ध्यान में लिए बिना क्रेडिट कार्ड देयताओं पर ब्याज की दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि उन्हें कम राशि के वैयक्तिक ऋणों और इसी प्रकार के अन्य ऋणों के संबंध में प्रोसेसिंग शुल्क और अन्य प्रभारों सहित ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित करनी चाहिए। उपर्युक्त अनुदेश क्रेडिट कार्ड संबंधी देय राशियों के संबंध में भी लागू हैं। यदि बैंक/एनबीएफसी कार्डधारक के भुगतान/चूक के पूर्ववृत्त के आधार पर अलग-अलग ब्याज दरें प्रभारित करते हैं, तो ऐसी विभेदी ब्याज दरें प्रभारित करने के मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, कार्डधारक पर उसके भुगतान/चूक के पूर्ववृत्त की वजह से अधिक ब्याज दरें प्रभारित करने के तथ्य को कार्डधारक को बताया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, बैंकों को विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दरों को अपनी वेबसाइट और अन्य माध्यमों के जरिए प्रचारित करना चाहिए। बैंकों/एनबीएफसी को कार्डधारक को विशेष रूप से उन परिस्थितियों में, जिनमें ग्राहक द्वारा बकाया राशि के केवल एक भाग का ही भुगतान किया जाता है, निदर्शी उदाहरणों सहित वित्तपोषण के प्रभारों के परिकलन की विधि पहले ही सूचित करनी चाहिए।</p> <p>इसके अलावा, बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को क्रेडिट कार्डों पर लागू ब्याज दरों तथा अन्य प्रभारों से संबंधित निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:</p> <p>क. कार्ड जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिल भेजने में कोई विलम्ब न हो और ब्याज लगाया जाना शुरू होने से पहले भुगतान करने के लिए ग्राहक को पर्याप्त समय (कम से कम एक पखवाड़ा) मिल सके। विलम्ब से बिल भेजने की बारम्बार शिकायतों से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक/एनबीएफसी बिल और खातों का विवरण ऑनलाइन, उसके लिए तैयार किए गए उपयुक्त सुरक्षा के उपाय सहित, उपलब्ध कराने पर विचार कर सकता है। बैंक/एनबीएफसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर भी विचार कर सकते हैं कि ग्राहक से मासिक विवरण की पावती प्राप्त की जाए।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>ख.कार्ड जारीकर्ताओं को चाहिए कि वे कार्ड उत्पादों पर वार्षिकीकृत प्रतिशत दरें (एपीआर) उद्धृत करें (फुटकर खरीद और नकदी अग्रिम के लिए अलग-अलग, यदि दरें भिन्न हों)। बेहतर समझ के लिए एपीआर की गणना-पद्धति के कुछ उदाहरण दिए जाने चाहिए। प्रभारित एपीआर और वार्षिक शुल्क को समान महत्व देते हुए दर्शाया जाना चाहिए। विलंब से भुगतान के प्रभार, ऐसे प्रभारों की गणना की पद्धति और दिनों की संख्या सहित प्रमुख रूप से निर्दिष्ट किये जाने चाहिए। वह तरीका जिससे भुगतान न की गई बकाया राशि ब्याज के परिकलन के लिए शामिल की जाएगी, सभी मासिक विवरणों में विशिष्ट रूप से प्रमुखता के साथ दर्शाया जाए। उस स्थिति में भी जहाँ कार्ड को वैध रखने के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम राशि अदा कर दी गई है, यह मोटे अक्षरों में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए नियत तारीख के बाद देय राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। ग.बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऐसा कोई प्रभार नहीं लगाना चाहिए जो क्रेडिट कार्ड धारक को, संबंधित कार्ड जारी करते समय तथा उसकी सहमति प्राप्त करते समय सुस्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया हो। तथापि, यह सेवा कर आदि जैसे प्रभारों के लिए लागू नहीं होगा जो सरकार अथवा किस अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बाद में लगाये जाएंगे।</p> <p>घ. प्रभारों में (ब्याज के अलावा) परिवर्तन कम-से-कम एक महीने का नोटिस देकर केवल भावी प्रभाव से किये जाने चाहिए। यदि क्रेडिट कार्ड धारक अपना क्रेडिट कार्ड इस कारण से अभ्यर्पित करना चाहता हो कि क्रेडिट कार्ड प्रभारों में किया गया कोई परिवर्तन उसे हानिकारक है तो ऐसी समाप्ति के लिए उससे कोई अतिरिक्त प्रभार लिये बगैर कार्ड समाप्ति की अनुमति दी जाए। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता द्वारा क्रेडिट कार्ड बन्द किये जाने के लिए किए गए किसी अनुरोध को तुरन्त स्वीकार किया जाना चाहिए, बशर्ते कार्ड धारक द्वारा देय राशि का पूर्ण निपटान कर दिया गया हो।</p> <p>ड.पहले वर्ष के दौरान नःशुल्क क्रेडिट कार्ड जारी करते</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>समय पारदर्शिता (किसी अप्रकट प्रभार के बिना) होनी चाहिए।</p> <p>(ग) डीएसए/डीएमए और अन्य एजेंटों का उपयोग क. बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जब क्रेडिट कार्ड के विभिन्न परिचालनों को बाहरी स्रोतों से (आउटसोर्स) करवाते हैं, तब उन्हें उसकी अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी कि ऐसी सेवा प्रदान करने वालों की नियुक्ति से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता तथा बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की ऋण, चलनिधि और परिचालनगत जोखिमों के प्रबंधन की क्षमता पर विपरीत असर नहीं होता है।</p> <p>ख. बैंक के ग्राहकों के प्रति दायित्व संबंधी बीसीएसबीआई संहिता के अनुसार जिन बैंकों ने उक्त संहिता को अपनाया है उन्हें अपने उत्पादों/सेवाओं के विपणन के लिए नियुक्त सीधी बिक्री एजेंटों (डीएसए) के लिए आचार संहिता निर्धारित करनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए उन्होंने जिन डीएसए को अपने क्रेडिट कार्ड उत्पादों के विपणन कार्य में लगाया है वे बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की क्रेडिट कार्ड परिचालनों की आचार संहिता का ईमानदारी से पालन करते हैं। ऐसी आचार संहिता संबंधित बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और किसी भी क्रेडिट कार्डधारक को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।</p> <p>ग. बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पास आकस्मिक जांच और प्रचण्न्न खरीद (मिस्ट्री शॉपिंग) की एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके एजेंटों को उचित रूप से जानकारी दी गयी है तथा सावधानी और सतर्कता से अपनी जिम्मेदारियां निभाने का प्रशिक्षण दिया गया है, विशेषकर इन दिशा-निर्देशों में शामिल पहलुओं के संबंध में, जैसे ग्राहक बनाना, कॉल करने का</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>समय, ग्राहक की जानकारी की प्राइवैसी, उत्पाद देते समय सही शर्तें सूचित करना आदि।</p> <p>(घ) प्राइवैसी का अधिकार क. बिना मांग के कार्ड जारी नहीं किये जाने चाहिए। यदि बिना मांगे कार्ड जारी किया जाता है और संबंधित प्राप्तिकर्ता की सहमति के बगैर कार्यान्वित हो जाता है और प्राप्तिकर्ता को उसके लिए बिल भेजा जाता है तो कार्ड जारी करने वाला बैंक न केवल उक्त प्रभारों को तत्काल प्रत्यावर्तित करेगा बल्कि प्रत्यावर्तित किये गये प्रभारों के मूल्य से दुगुनी राशि कार्ड के प्राप्तिकर्ता को दंड के रूप में अविलंब अदा करेगा।</p> <p>ख. इसके अतिरिक्त, यह व्यक्ति जिसके नाम से कार्ड जारी किया गया है, बैंकिंग ओम्बड्समैन से संपर्क भी कर सकता है। जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, 2006 के उपबंधों के अनुसार बिना मांगे कार्ड के प्राप्तिकर्ता को बैंक द्वारा देय प्रतिपूर्ति की राशि निर्धारित करेगा।</p> <p>ग. कार्ड जारी करने वाले बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को क्रेडिट कार्ड का एकतरफा उन्नयन नहीं करना चाहिए तथा ऋण सीमा को नहीं बढ़ाना चाहिए। जब भी शर्तों में कोई परिवर्तन हो तब अनिवार्यतः संबंधित उधारकर्ता की पूर्व सहमति ली जाए।</p> <p>घ. बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/उनके एजेंटों को कार्डधारक की प्राइवैसी में दखल नहीं दिना चाहिए, जठसे कार्ड धारकों को निरंतर वक्त-बे-वक्त कॉल करके परेशान करना, “कॉल न करें” संहिता का उल्लंघन आदि।</p> <p>(ङ) ऋण वसूली की उचित प्रथाएं (क) देय राशियों की वसूली के मामले में, बैंक यह</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्यक्तियां
			<p>सुनिश्चित करें कि वे तथा उनके एजेंट भी उधारदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता संबंधी मौजूदा अनुदेशों तथा बैंक के ग्राहक के प्रति दायित्व संबंधी बीसीएसबीआई संहिता (बीसीएसबीआई संहिता को अपनाने वाले बैंक) का अनुपालन करते हैं। यदि देय राशियों की वसूली के लिए बैंक की अपनी खुद की संहिता है तो उसमें कम-से-कम उपर्युक्त संदर्भित बीसीएसबीआई संहिता की सभी शर्तों को शामिल किया जाना चाहिए।</p> <p>(ख) ऋण वसूली के लिए अन्य एजेंसियों को नियुक्त करने के संबंध में यह विशेष रूप से आवश्यक है कि ऐसे एजेंट कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की ईमानदारी तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे और यह कि वे ग्राहक की गोपनीयता का कड़ाई से पालन करें। वसूली एजेंट द्वारा जारी किए गए सभी पत्रों में कार्ड जारी करने वाले बैंक के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी का नाम तथा पता होना चाहिए जिससे ग्राहक उसके स्थान पर संपर्क कर सकें।</p> <p>(ग) बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/उनके एजेंटों को अपने ऋण वसूली के प्रयासों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार से मौखिक अथवा शारीरिक रूप से डांट-डपट अथवा परेशान करने का सहारा नहीं लेना चाहिए। इनमें क्रेडिट कार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों, मध्यस्थों तथा मित्रों को खुलेआम अपमानित करने अथवा उनकी प्राइवैसी में दखल झूठी तथा गलत जानकारी देना भी शामिल है।</p> <p>(घ) बैंकों को वसूली एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 24 अप्रैल, 2008 के दिशानिर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित से संबंधित पहलू शामिल हैं (i) वसूली एजेंटों की</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>नियुक्ति तथा एजेन्टों द्वारा अपने कर्मचारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन, (ii) वसूली एजेन्टों को प्रोत्साहन-बैंक सुनिश्चित करें कि वसूली एजेन्टों के साथ की गई संविदाएं असभ्य, गैर-कानूनी तथा संदेहास्पद व्यवहार अथवा वसूली प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रवृत्त नहीं करती है, (iii) वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई गई कार्य-पद्धतियां, (iv) वसूली एजेन्टों को प्रशिक्षण, (v) बैंकों के पास बंधक / दृष्टिबंधक रखी गई संपत्ति का कब्जा लेना, (vi) लोक अदालतों के मंच का उपयोग, (vii) बैंकों / वसूली एजेन्टों के विरुद्ध शिकायतें तथा (viii) वसूली एजेन्टों के तंत्र की आवधिक समीक्षा।</p> <p>(च) शिकायतों का निवारण</p> <p>क. ग्राहकों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः साठ (60) दिन की समय-सीमा दी जाए।</p> <p>ख. कार्ड जारी करने वाले बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ही शिकायत निवारण तंत्र गठित करना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नामित शिकायत निवारण अधिकारी के नाम तथा संपर्क नंबर का उल्लेख क्रेडिट कार्ड के बिलों में होना चाहिए। नामित अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों की वास्तविक शिकायतों को बिना विलंब के तत्परता से निवारण किया जाता है।</p> <p>ग. बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनका कॉल सेंटर स्टाफ सभी ग्राहक शिकायतों को सक्षम तरीके से निपटने के लिये पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>घ. बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास एक ऐसा तंत्र होना चाहिये जो न निपटाई गई शिकायतों को स्वचालित तरीके से कॉल सेंटर से ऊपर बढ़ाकर उच्चतर प्राधिकारियों को भेज दे और ऐसे तंत्र का ब्यौरा उनकी वेबसाइट के जरिये सार्वजनिक किया जाए।</p> <p>ङ बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों के उत्तर के लिए नियत समय सारणी बैंक की वेबसाइट पर रखी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण कार्यकारियों और बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के नाम, पदनाम, पता और दूरभाष सं. वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएं। अनुवर्तन हेतु ग्राहकों की शिकायतों के प्राप्त होने की सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे शिकायत सं./डॉकेट सं. की सूचना देना, चाहे शिकायत दूरभाष पर भी प्राप्त हुई हो।</p> <p>च. शिकायत दर्ज करने की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि में शिकायतकर्ता को यदि बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो बैंक की सहायक संस्था है, से संतोषप्रद प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो उसके पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में जाने का विकल्प होगा। बैंक की गलती के कारण और समय पर शिकायत का निवारण न होने के कारण शिकायतकर्ता को जो समय की हानि, व्यय, वित्तीय हानि तथा परेशानी और मानसिक संत्रास भुगतना पड़ा उसकी भरपाई करने के लिए बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो बैंक की सहायक संस्था है, बाध्य होगी।</p> <p>(छ) आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता निरंतर आधार पर सुनिश्चित की जाती है, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
			<p>में ग्राहक सेवा से संबंधित स्थायी समिति मासिक आधार पर क्रेडिट कार्ड के कार्यकलापों की समीक्षा सिबिल को प्रस्तुत चूककर्ता की रिपोर्टों, क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों सहित करें और सेवाओं के सुधार हेतु उपाय करें तथा क्रेडिट कार्ड परिचालन में व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करें। बैंकों को क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का ब्यौरे-वार तिमाही विश्लेषण अपने वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत करना चाहिए। कार्ड जारीकर्ता बैंक में व्यापारी लेनदेनों की सत्यता की नमूना जांच करने के लिए एक उपयुक्त निगरानी प्रणाली होनी चाहिए।</p> <p>(ज) धोखाधड़ी पर नियंत्रण</p> <p>(i) बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे धोखाधड़ी से निपटने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करें और बैंकों को धोखाधड़ी निवारक समितियों/टास्क फोर्स में सक्रिय रूप से भाग लें, ये समितियां/टास्क फोर्स धोखाधड़ी रोकने और धोखाधड़ी नियंत्रण तथा कार्यान्वयन संबंधी पूर्वयोजित उपाय करने के लिए कानून बनाती हैं। (ii) खोए हुए/चोरी हुए कार्डों के दुरुपयोग के दृष्टांतों को कम करने की दृष्टि से बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को यह सिफारिश की गई है कि वे (i) कार्डधारक के फोटोग्राफ सहित कार्ड (ii) पिन (पीआईएन) सहित कार्डों और (iii) हस्ताक्षर लेमिनेटिड कार्ड्स अथवा समय-समय पर विकसित की गई कोई अन्य उन्नत पद्धति जारी करने पर विचार करें। (iii) बैंकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहक द्वारा सूचित किए जाने पर खोए हुए कार्ड को तत्काल अवरुद्ध कर दें तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने सहित औपचारिकताओं, यदि कोई हों, का उचित समयावधि में अनुसरण कर सकते हैं। (iv) बैंक, ग्राहकों के विकल्प पर खोए हुए कार्डों के दायित्वों की पूर्ति के लिए एक बीमा कवर प्रस्तुत करने पर विचार करें। अन्य शब्दों में, खोए हुए कार्डों के संदर्भ में, केवल उन्हीं कार्डधारकों, जो प्रीमियम का खर्च वहन करने को तैयार हैं, को एक उचित बीमा कवर प्रदान किया जाना चाहिए।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
15	15	अन्य असंतोषजनक पहलू क्रेडिट कार्ड भुगतान की ब्याज दरों के संबंध में है। बैंकों को बेंचमार्क प्राईम लेंडिंग दर की परवाह किए बिना कोई भी ब्याज दर प्रभारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए इन्हें अत्यधिक/सूदखोरी ब्याज दर लेने में सक्षम बनाया गया है। समिति यह सिफारिश करती है कि क्रेडिट कार्ड बकायों पर प्रभारित ब्याज दर तथा साथ ही उदग्रहित वित्तीय प्रभार लेने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए तथा इन्हें बैंकों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले की समीक्षा करनी चाहिए तथा क्रेडिट कार्ड सेवाओं को शासित करने वाले दिशानिर्देशों/मानदण्डों को दोबारा तैयार करना चाहिए ताकि आम जनता को राहत दी जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी से बचने के लिए फोटो-पहचान वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी विचार करना चाहिए।	भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि क्रेडिट कार्ड बकाया राशियां गैर-प्राथमिकता क्षेत्र वैयक्तिक ऋण प्रकृति की हैं और इसलिए बैंक, अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में मास्टर परिपत्र के संदर्भ में अपने बीपीएलआर तथा आकार को ध्यान में रखे बिना क्रेडिट कार्ड बकाया राशियों पर ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड परिचालन को पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों का बिन्दु 14 के उत्तर में पहले ही ब्यौरे-वार विवरण दे दिया गया है।	स्वीकृत नहीं किया गया।	वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण के एक भाग के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994 से ब्याज दर विनियम हटा दिया है। अतः क्रेडिट कार्ड ऋणों में ब्याज दर विनियम पुनः शुरु करने से भारतीय रिजर्व बैंक पुनः सूक्ष्म प्रबंधन की ओर बढ़ने लगेगा। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्डों पर ब्याज दर जारी किए जाने का यह मुद्दा माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लंबित है।
16	16	समिति ने नोट किया कि केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बैंक ड्राफ्ट सुविधा के दुरुपयोग में संलिप्त अनेक मामलों के बारे में सूचित किया है। समिति यह जानकर निराश है कि भारतीय रिजर्व बैंक में बैंक ड्राफ्ट के दुरुपयोग में संलिप्त अपने अनेक निरीक्षणों के दौरान इस प्रकार के मामलों का पता लगाने में असफल रहा। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी/	कारोबार से इतर वित्तपोषण के ऐसे ही एक मुद्दे की जांच करने के लिए अक्टूबर 2008 में सीईआईबी, सीबीडीटी, एफआईयू, ईडी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों वाले एक समूह का गठन किया गया। समूह की रिपोर्ट को भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। समूह की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक को भेज दी गई थी जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह दी है कि चूंकि, यह बैंकिंग और मर्केटाइल समुदाय के महत्वपूर्ण हित का मामला है अतः भारतीय बैंक संघ (आईबीए), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (एफआईसीसीआई)	स्वीकृत	राजस्व विभाग ने परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखतों के रूप में ड्राफ्टों और चैकों को हटाने से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया था, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ भी शामिल थे। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ का संबंध है, वे प्रस्तावित संशोधनों से सहमत नहीं थे।

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		विनियामक तंत्र में ढिलाई को ही दर्शाता है। समिति को पता चला है कि इस मुद्दे की जांच करने के लिए एक समूह का गठन किया गया है। समिति चाहती है कि उसे इस समूह के निष्कर्षों तथा सरकार द्वारा उनके कार्यान्वयन हेतु की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराया जाए।	आदि जैसे संगठनों के मत प्राप्त किए जाने चाहिए। तदनुसार, इस विषय पर एफआईसीसीआई तथा आईबीए की टिप्पणियां भी मांगी गई हैं। अब तक आईबीए ने अपनी आंतरिक टिप्पणियां भेज दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त विषय पर वे अपने सदस्य बैंकों के मत मांग रहे हैं और तत्पश्चात वे इस मामले पर हमें यथा शीघ्र उत्तर भेज देंगे। एफआईसीसीआई ने अब तक उत्तर नहीं दिया है।		
17	17	बीमा ओम्बड्समैन से राहत मिलने के बाद भी पॉलिसीधारकों को बीमाकर्ताओं द्वारा शीघ्र पंचाट परिनिर्धारित करने में ढिलाई के कारण कष्ट उठाना पड़ता है। अतः समिति का सुझाव है कि आई.आर.डी.ए. तत्काल बीमा क्षेत्र में शिकायत निवारण के मामले को उठाएं और एक उचित अवधि के बाद अनुपालन न करने पर बीमाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने पर विचार करें।	आई.आर.डी.ए. बीमाकर्ताओं द्वारा पंचाट के अनुपालन में देरी से निपटने के लिए उचित कार्रवाई कर रहा है। आई.आर.डी.ए. ने क्रमशः जीवन तथा गैर-जीवन बीमा के लिए शिकायत-प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। ये प्रकोष्ठ बीमा कंपनियों के साथ शिकायतों को उठाते हैं और उनके निपटान का अनुवीक्षण करते हैं। समीक्षा करने तथा शिकायत-निवारण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए, आई.आर.डी.ए. ने इस संबंध में सिफारिश करने के लिए कामेसम समिति गठित की है।	स्वीकृत	
18	18	विनियामक निकायों द्वारा अधिशेष निधियों का प्रतिधारणसमिति को यह जानकर खेद है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अपनी अधिशेष निधियों को समिति की इस आशय की पूर्ववर्ती अनुशंसा के बावजूद भारत के लोक लेखा में जमा करने के बजाए प्रतिधारित करना जारी रखा है। यह विधि मंत्रालय की सलाह के भी विपरीत है जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अधिशेष निधियों को भारत के लोक लेखा में रखा जाए। इसी प्रकार, सेबी के मामले में भी, यह देखा गया है कि शास्ति प्राप्ति का भारत की समेकित निधि	आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग ने भारत के लोक लेखा में सेबी तथा आईआरडीए निधियों को प्रचालनरत करने के लिए दिशानिर्देश (अनुबंध-1) बनाए हैं तथा उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को संसूचित कर दिया है। सीसीए को अनुरोध किया गया है कि वह विस्तृत लेखाकारण प्रक्रिया तैयार करे, जिसमें भारत के लोक लेखा में संबंधित लेखाशीर्षक खोलना शामिल है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति प्राप्त करने के लिए उसे महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के पास भेजे। विधि मंत्रालय से इस मामले में परामर्श किया जा चुका है तथा संबंधित संगठनों के साथ इसका परिशीलन किया जा रहा है।	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
19	19	<p>में जमा की जाती हैं जबकि सभी अन्य निधियां सेबी सामान्य निधि में अंतरित की जा रही हैं। समिति ने उल्लेख किया है कि सेबी निधि को भी लोक लेखा में रखने की डीजीएसीआर की सलाह का अनुसरण करते हुए सरकार वर्तमान में इस मुद्दे पर विचार कर रही है। समिति यह आशा करती है कि मंत्रालय इस लटकते हुए मुद्दे को एकबारगी ही निपटाने के लिए शीघ्र निर्णय लेगा ताकि आईआरडीए तथा सेबी सहित सभी विनियामकों के लिए एकसमान दृष्टिकोण का अनुपालन हो। समिति मामले में निर्णय से अवगत होना चाहेगी।</p> <p>समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व और पूंजी लेखों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा काफी अधिक बचत/व्यय न की गई निधियों को दिखाया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शहरी विकास विभाग जैसे मंत्रालयों/विभागों ने दोनों लेखों में पिछले पांच वर्षों के दौरान निरंतर बचत सूचित की है। इससे भी अधिक क्षुब्ध करने वाला तथ्य यह है कि भारी उद्योग, अंतरिक्ष, शहरी विकास, राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर</p>	<p>वित्त वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों/विनियोग में होने वाली बचतों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा एक विश्लेषण किया गया है। किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि बचतों के अभ्यर्पण जैसाकि लेखों में दर्शाया जाता है, में दो संघटक होते हैं जो निम्नलिखित हैं:</p> <p>(i) वित्त वर्ष के दौरान पूंजी भाग में अभ्यर्पित निधियां, समान राशि को राजस्व भाग में उपयोग में लाने के लिए और विलोमतः भी यही स्थिति होगी; और</p> <p>(ii) किसी विशेष वर्ष के अंत में अभ्यर्पित बचतें।</p> <p>वस्तुतः वित्त वर्ष के दौरान अभ्यर्पित निधियां बचत नहीं होती हैं क्योंकि अनुदान के एक भाग में इस प्रकार अभ्यर्पित निधियों का उपयोग उसी अनुदान के अन्य भाग में अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगों के जरिए किया जाता है। इस प्रकार विनियोग लेखों में दी गई सूचना के मुकाबले अव्ययित शेष कहीं अधिक कम होता है जैसा कि उत्तर में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि, वित्त मंत्रालय अव्ययित शेषों की मॉनीटरिंग गहनतापूर्वक कर रहा है। माननीय वित्त</p>	स्वीकृत	

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>जैसे विभागों, विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय आदि ने इसी अवधि के दौरान पूंजी लेखे में भारी बचत दर्ज की है जो या तो बजटीय आवश्यकताओं के अनुचित अनुमान दिखाते हैं अथवा निधियों के सकल तौर पर कम उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। पूंजी लेखे के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग ने इस तथ्य को भी दर्शाया है कि इसने विकासोन्मुख गतिविधियां/निवेश को गंभीरता से हतोत्साहित किया है। भारी मात्रा में बचतों की बार-बार आवृत्ति संबंधी कारण भी असावधानी तथा रूटीन किस्म के प्रतीत होते हैं। समिति वेद्वीवृत्त रिकार्ड को रखने में सरकार की विफलता का भी खण्डन करती है जो उसे इस बात का सुनिश्चय करने से रोकता है कि बचतें लागत कमी/मितव्ययिता संबंधी उपायों को अपनाने से अथवा गलत तरीके से अनुमान लगाने के कारण प्रभावित हुई हैं। उसवे दृष्टिकोण में बचतों/व्ययन की गई निधियों के बार-बार भारी मात्रा में होने को देखते हुए सरकार के स्तर पर यह भी जरूरी है कि इसके कारणों का विश्लेषण किया जाए ताकि प्रत्येक वर्ष रूटीन तरीके से अनुदानों का संवितरण जारी न किया</p>	<p>मंत्री ने अक्टूबर, 2009 को हुई एक बैठक में विभिन्न विभागों के सभी वित्तीय सलाहकारों को अनुदेश दिया है कि आगे की राशि जारी करते समय अव्ययित शेषों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।</p>		

क. सं.	सिफारिश/ पैरा सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत की गई या नहीं	अभ्युक्तियां
		<p>जाए जबकि इन अनुदानों को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि व्यय आंकड़ों को केंद्रीकृत तरीके से रखा जाए और उनकी मॉनीटरिंग की जाए ताकि बचत संबंधी कारणों का विश्लेषण किया जा सके। इस संबंध में समिति यह भी जानना चाहेगी कि व्यय न की गई शेष राशियों की ऋणदेयता निहितार्थों और सरकार द्वारा इन्हें घटाने के लिए किए गए उपाय क्या हैं?</p>			

Statement showing Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 1st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for grants 2009-10 of Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services & Disinvestment) presented to Lok Sabha on 2nd December, 2009/laid in Rajya Sabha on 2nd December, 2009.

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	1	The Committee regret to note that only a part of the IDEAS scheme, i.e. concessional line of credit to foreign countries through EXIM Bank has reportedly been made operational and allocated a separate budget head. The allocations made for the other components of the Scheme, i.e. assistance for project preparation, project training etc. (Rs.35.50 cr in 2007-08, Rs.5 cr. in 2008-09 and 0.01 cr. in 2009-10) have been surrendered in toto. Further, the Committee would like to know the reasons for not obtaining the necessary approvals. Further, the Committee also has serious doubts over the efficacy or desirability of the scheme and would therefore, recommend the Government to review the scheme.	<p>1. In implementation of the Budget Announcement, the scheme was operationalised in FY 2003-04 in respect of only such components for which financial commitments are within the powers of the FM, on a stand-alone basis. This included-Writing off the debt of HIPC countries, mobilizing credit lines for partner countries and subsidizing the interest component. The Committee on Non Plan Expenditure approved the scheme in May 2005.</p> <p>2. Subsequently on Draft CCEA note, MEA had some reservations on the implementation modalities because of which, the approval of Cabinet could not be obtained for operationalising the scheme in its entirety. As such, the scheme continued to be implemented only in respect of specific components of mobilizing credit lines for developing countries and subsidizing the interest component on stand alone basis.</p> <p>3. During the India-Africa Forum Summit held at New Delhi on April 8-9, 2008; Prime Minister made a commitment to offer additional lines of credit amounting to US\$ 5.4 billion, both bilaterally and to the regional economic communities of Africa over the next 5 years beginning from 2009-10. Subsequently Cabinet approved the proposal for extending additional LOCs to the tune of US\$ 2900 million to Africa besides normal LOCs to the tune of US\$ 2500 Million during 2009-10 to 2013-14.</p> <p>4. Based on the working of the scheme over the last five years, revised guidelines for the scheme have been drawn up and a proposal prepared for consideration of the Committee on Non-Plan Expenditure for extending the scheme for further five years w.e.f. 31.3.2010.</p> <p>5. An independent agency ImaCS (ICRA Management consultancy Services) has been engaged by Exim Bank to carry out an evaluation of the IDEAS scheme in respect of the attainment of its broad objectives during 2004-05 to 2009-10.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
2	2	<p>Decline in expenditure under the head "subsidy for payment to public sector general insurance companies for community based UHIS during last three years. The Public Sector general insurance companies should reduce their overheads so as to spend that money on the rural sector and open more branches in the rural areas, charge lower premium and undertaken large-scale awareness campaign to reach more people there.</p>	<p>Under the Universal Health Insurance Scheme (UHIS), the beneficiary has to pay the premium, which is net of subsidy from Government of India whereas in Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) the entire premium is borne by the Central / State Government. It has been decided that once RSBY covers all the districts of the Country, UHIS may be withdrawn.</p> <p>As regards expansion in rural areas, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) has issued Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural Social Sectors) Regulations, 2002 and the Public Sector Insurance Companies (PSICs) are making special mobilization efforts in this regard. Further, the PSICs remain consistently focused on Rural, Social, Micro and other mass Insurance Schemes. For this purpose, the PSICs have been utilizing various channels such as Bancassurance, Agents, Development Officers, Corporate Agents, Micro Insurance Agents (Self Help Groups, NGOs and Micro Financial Institutions), Panchayat Raj Institutions and network of Micro Offices etc. in order to increase the awareness about rural insurance products.</p>	Accepted	
3	3	<p>The Committee notice that National Skill Development Corporation has been formed as a private sector organization with equity assistance from the Central Government. While the contribution of the private sector to the Corporation is said to be to the tune of Rs. 4.05 cr as on date, with view to ensuring that the Government's contribution is less than that of the private sector, an amount of Rs. 3 cr has been allocated as Government of India equity contribution to the Corporation. The Committee are anguished with the stance of the Ministry of Finance confining their role only to equity financing of the Corporation and</p>	<p>The intention of Ministry of Finance has not been to detach itself from the programme. The contribution in equity had been indicated in the reply to explain the shortfall in equity contribution of the Government vis-a-vis the budgeted amount.</p> <p>The Finance Ministry is in fact fully involved in skill development initiative taken by the Government of India. The Finance Minister is part of the National Council of Skill Development and the Finance Secretary is the member of the National Skill Development Coordination Board. The Additional Secretary (EA), DEA is one of the Directors in the Board of National Skill Development Corporation (NSDC) and all major decisions and initiatives taken by NSDC are done in close consultation with the Ministry of Finance.</p> <p>As regards the remodelling of apprentice training programme, a sub-committee constituted under the Chairmanship of Sh. Manish Sabarwal, has sent its recommendations to make the programme</p>	Partially Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
4	4	<p>not being concerned with the programmes and activities envisaged to be taken up by the Corporation. The Committee expected a greater degree of involvement from the Ministry and believed that before taking such an initiative, the Government should have undertaken a proper assessment of the existing level of skill development under the Apprenticeship Act and then the different new skills that need to be developed, along with the incentives required for this purpose. The Committee, therefore, emphasize on adopting a holistic approach in formulating and implementing the policy framework for skill development in the Country by ensuring proper coordination and consultation between the Ministry of Finance, the nodal Ministry for skill development and the Planning Commission.</p> <p>The Committee are surprised to note that only a negligible number of skill courses in the Country are at present registered with ISO, a fact also agreed to by the Chief Economic Advisor to Government. This Committee, therefore, recommends the Government to review its policies and take time-bound measures to identify and develop a number of indigenous skills in order to cater to a large number of educated but unskilled persons who are waiting for employment across the</p>	<p>more effective. Further, a task force had been constituted under the chairmanship of Dr. Narendra Jadav, Member, Planning Commission to examine the recommendations made by the sub-committee constituted under the chairmanship of Sh. Manish Sabarwal on remodelling of apprenticeship training set up. Secretary, Planning Commission, Finance Secretary and Director General of Employment and Training are the members of this Committee. The task force has submitted its report to Government.</p> <p>On the re-modeling of Apprenticeship Training Scheme under the Apprentices Act, 1961, Ministry of Labour and Employment have intimated the latest status as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> · The draft Cabinet Note for amending the Apprentices Act, 1961 has been sent to department of Legal Affair for scrutiny of the draft Cabinet Note from legal and constitutional angles. · The gazette notification for inclusion of eight trades under the Apprentices Act, 1961 has been sent to Government of India Press for publication. · The draft gazette notification for inclusion of eighteen trades has been sent to Official Language Wing, Ministry of Law for its Hindi version. <p>The Government has already set-up a three tier institutional structure consisting of Prime Minister's National Council, National Skill Development Coordination Board headed by Deputy Chairman Planning Commission and National Skill Development Corporation. Prime Minister's National council has delineated core principles for ensuring smooth implementation of "Coordinated Action on Skill Development". The NSDC is expected to bring in private sector participation in skill development. Since private sector is going to absorb the skilled manpower, their involvement in issues related to curriculum, accreditation and evaluation has been envisaged through formation of Sector Skills Councils (SSCs).</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
5	5	<p>country. The Committee desire that they be apprised of the measures taken in this regard within six months.</p> <p>The Committee are concerned to note that fiscal deficit and revenue deficit as a percentage of GDP has been projected at 6.8% and 4.8% respectively as per budget estimates 2009-10. While the progress in bringing down the deficit levels in accordance with the stipulations of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 (FRBM Act) has not been very satisfactory, the fiscal deficit has, on the contrary, risen sharply in 2008-09 when it reached 6.2% of GDP. The rise in fiscal deficit has been attributed to factors such as increased</p>	<p>DGE&T is in process of setting of 1500 Industrial Training Institutes (ITIs) and 5000 Skill Development Centres (SDCs) in PPP mode to provide skill development opportunities at the door steps of youth. As regards inclusion of new Trades in Apprenticeship scheme, Modular Employable Skills (MES) designed by the Ministry of Labour are planned to be adopted. These are demand driven and have the architecture that is open and self healing.</p> <p>As intimated by Ministry of Labour and Employment, the latest status on Modular Employable Skills (MES) under Skill Development Initiative (SDI) Scheme are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1158 Modules for employable skill covering 52 sectors have been developed; · 22 Assessing Bodies have been empanelled; · 6,56,538 persons have been trained/tested since inception (up to 31.3.2010); · 5724 Vocational Training Providers (VTPs) have been registered; · M/s. IL&FS have been appointed as consultant for development of Web Based Software for implementation, monitoring and evaluation of the scheme. <p>Under Section 7 of the Act, in the event of deviation from the obligations cast on the Government under the Act, the Finance Minister should make a Statement in both the Houses of Parliament explaining the circumstances that have led to such a deviation; explaining whether such deviation is substantial and relates to actual or potential budgetary outcomes; and detailing the remedial measures the Government proposes to take. Three Statements, namely, Macro-Economic Framework Statement, Medium Term Fiscal Policy Statement and Fiscal Policy Strategy Statement, were presented in both the Houses of Parliament along with the Budget 2010-11 explaining grounds for deviation from the obligations cast on the Central Government under the Act in compliance with the statutory requirements. The Government is committed to return back to the path of fiscal</p>	Partially Accepted (Necessary remedial measures are already under way)	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
6	6	<p>global commodity prices, conscious shift in expenditure for health, education and social sector and the fiscal stimulus to overcome the effects of global financial crises. While such kinds of deviations are inevitable during exigencies, there is an imperative need to minimise the deviations, so as to maintain the sanctity of the FRBM Act. The Committee believe that by allowing major deviations, the sanctity and efficacy of the FRBM Act is being seriously jeopardized.</p> <p>Although the Act warrants the Government to spell out the remedial measures to get back to the path of fiscal sustainability, the Government has only outlined the fiscal roadmap for the next two years by mentioning the rolling targets for the fiscal and revenue deficit, without specifying the measures/ action plan to achieve the same. Entrusting the task of reviewing and formulating the road map for fiscal adjustment to the Thirteenth Finance Commission is, in the opinion of the Committee, not in consonance with the stipulations of the FRBM Act and amounts to skirting the issue. Apparently, there is lack of clarity on the policy stance of the Government on the FRBM Act, 2004. This is also evident from the fact that while the Ministry had, at first informed that any amendments required to be carried out in the FRBM Act would be considered upon receipt</p>	<p>consolidation. Accordingly, the fiscal deficit is estimated to be reduced from 7.9% (including bonds issued in lieu of subsidies) in 2008-09 to 5.5% of GDP in 2010-11. It is further estimated to be brought down to 4.8% and 4.1% of GDP in 2011-12 and 2012-13 respectively.</p> <p>The policy stance of the Government on the issue was clearly enumerated in the Budget speech of 2009-10 of Hon'ble Finance Minister. The Government has spelt out the fiscal roadmap in the Medium Term Fiscal Policy Statement wherein the fiscal deficit has been targeted to be reduced from 6.8 per cent of GDP in 2009-10 to 5.5 per cent in 2010-11. The 13th Finance Commission has worked out a revised roadmap for fiscal consolidation for the period from 2010-2015. The Government has accepted the recommendation regarding Fiscal Roadmap in principle. Detailed proposals for amendment of the FRBM Act, as may be necessary, will be taken up in due course.</p>	Not Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
7	7	<p>of the report of the Thirteenth Finance Commission, it was subsequently asserted that there would not be any need for amending the Act in view of the commitment to go back to the path of fiscal consolidation at the earliest. The Committee are dismayed at the vacillation of the Ministry on this issue. The Committee would expect the Government to spell out their policy stance on FRBM Act and statements laid thereunder with greater clarity and in unambiguous terms. The Committee would also await the report of the Finance Commission in this regard.</p> <p>The Committee also find that the Government has undertaken expansive expenditure programmes without devising ways to evaluate their impact. Though the Ministry has proposed to initiate institutional reform measures, the Committee would like to emphasise the urgent need to concretise these measures, without which the fiscal consolidation envisaged in the Budget will prove elusive. The Committee earnestly hope that the Government's fiscal policy stance will not go away. In this context, the Committee would like to emphasise that the growth rate necessary and aimed for to achieve fiscal correction/consolidation should be balanced with policies for equity and justice.</p>	<p>The focus of the Government now is also on institutional reform measures in order to make fiscal consolidation process sustainable. These measures have to encompass all aspects of the budget such as subsidies, taxes, expenditure and disinvestment.</p> <p>Special emphasis would be on reform of governance for effective delivery of public services. The focus has shifted from financial outlays to outcomes for ensuring that the budgetary provisions are not merely spent within the financial year but have resulted in intended outcomes. As part of process reform, all new expenditure proposals will have to report on how the proposal under consideration will enhance the goals of equity or inclusion, innovation and public accountability.</p> <p>In the short and immediate term, the Government is taking efforts to reduce the Non Plan expenditure through economy measures and austerity instructions. Review of plan and non-plan expenditure is being done wherein Secretary to the Government, Department of Expenditure reviews the pace of expenditure across Ministries/ Departments with the Financial Advisors of respective Ministries/Departments.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks															
8	8	<p>The Committee is concerned to note that the cumulative undrawn committed external assistance has been increasing during the last few years. It has grown from Rs. 69,254.36 crore in 2003-04 to Rs. 80,287.93 crore during the year 2007-08. The commitment charges paid on undrawn assistance during the year 2007-08 was Rs. 124.54 crore. The main reason for non-utilization of external assistance is stated to be delays in completion of projects, both at the central level and the state level. The Committee are surprised to note that the Government is applauding itself for reducing the amount of commitment charges from Rs. 165.11 crore in 2004-05 to Rs. 124.54 crore in 2007-08. As also admitted by the representative of the Ministry of Finance while tendering evidence, steps taken by the Government of India such as weightage of five percent on utilisation of external assistance by States in the modified Gadgil formula, Tripartite Review Meetings, Readiness filter etc. are obviously proving to be instruments only on paper and remain inadequate in accelerating the completion of projects. It also clearly reflects on the planning and subsequent scrutiny at the level of the Ministry, which has been found to be deficient and rather weak. As the commitment charges continue to be in excess of Rs. 100 crore, the Committee would expect the system</p>	<p>The Department of Economic Affairs follows an elaborate system of monitoring and scrutiny to assist the State Governments and project authorities to implement the multilateral loan assisted projects in a smooth and timely manner. This is reviewed from time to time and several modifications have been made with effect from the financial year 2009-10. This is a follow up to the reply already submitted on December 31, 2009. All the action points mentioned in the last report has been updated. In order to make the monitoring and coordination between Centre and States more effective, all 63 on-going projects of the World Bank have been reviewed in Bhubaneswar (58 projects) and New Delhi (5 Finance Sector projects) on February 24-25 and March 17 respectively. Similarly, all 52 ADB assisted on-going projects have been reviewed on February 10-11 in Mumbai.</p> <p>The practice of State level review meetings have been streamlined in 2009-10. Between December, 2009 and March 31, 2010 four State level reviews have been undertaken. The projects with World Bank, ADB and bilateral donor assistance have been reviewed with the senior officials of the State Governments. The details are as follows:-</p> <table border="1" data-bbox="916 975 1659 1201"> <thead> <tr> <th data-bbox="916 975 1160 1054">Name of the State</th> <th data-bbox="1160 975 1473 1054">Date</th> <th data-bbox="1473 975 1659 1054">No. of Projects reviewed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="916 1054 1160 1098">Uttarakhand</td> <td data-bbox="1160 1054 1473 1098">December 17-18, 2009</td> <td data-bbox="1473 1054 1659 1098">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1098 1160 1134">Orissa</td> <td data-bbox="1160 1098 1473 1134">February 24, 2010</td> <td data-bbox="1473 1098 1659 1134">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1134 1160 1171">Rajasthan</td> <td data-bbox="1160 1134 1473 1171">April 6, 2010</td> <td data-bbox="1473 1134 1659 1171">7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 1171 1160 1201">Madhya Pradesh</td> <td data-bbox="1160 1171 1473 1201">April 8, 2010</td> <td data-bbox="1473 1171 1659 1201">16</td> </tr> </tbody> </table> <p>In order to make the scrutiny more stringent, Joint DEA-WB Problem Projects Review was held on May 20, 2010 in New Delhi. In this meeting, 17 Projects have been reviewed, out of which nine projects are actual problem projects. Eight more projects have been reviewed, where it was anticipated that they could shift to problem/risk category, if not reviewed/monitored closely.</p>	Name of the State	Date	No. of Projects reviewed	Uttarakhand	December 17-18, 2009	9	Orissa	February 24, 2010	4	Rajasthan	April 6, 2010	7	Madhya Pradesh	April 8, 2010	16	Accepted	
Name of the State	Date	No. of Projects reviewed																		
Uttarakhand	December 17-18, 2009	9																		
Orissa	February 24, 2010	4																		
Rajasthan	April 6, 2010	7																		
Madhya Pradesh	April 8, 2010	16																		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>of scrutiny to be made more stringent with more effective monitoring and coordination between Centre and States. They would also recommend the Government to form an action plan to reduce commitment charges to negligible levels as early as possible, as this only leads to further borrowing, which ultimately increases the debt liability and widen the deficits.</p>	<p>The co-ordination between the centre and the States has been further strengthened by making the field visits of officials to the States more frequent. The officials of this Division of the DEA have visited Mumbai on December 16-18, 2009 and Guwahati on May 18-20, 2010 to review Small & Medium Enterprises - II Project. Similar field visits have been made to Karnataka January 11-15, 2010 to review Karnataka Municipal Reforms Project, Karnataka Urban Water Sector Improvement Project and Karnataka Rural Water Supply & Sanitation -II; to Guwahati on February 14-17, 2010 to review Assam Agricultural Competitiveness Project; to Tamil Nadu (Chennai) on March 29-31, 2010 to review Tamil Nadu Empowerment & Poverty Reduction Project and Emergency Tsunami Reconstruction Project (TN part) and to Dehradun, on December 17, 2009 to review Uttarakhand Urban Improvements Project, Uttarakhand Rural Water Supply & Sanitation, Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project and Livelihood Improvement Project for Himalayas.</p> <p>Besides, regular monitoring has been done through correspondences to the Project Authorities and State Governments. On the World Bank side, 77 communications have been sent between December, 2009 and March 31, 2010 for the on-going projects. The corresponding number of communications with respect to ADB assisted projects is 48.</p> <p>Project readiness checklist:</p> <p>Another monitoring mechanism, during the preparation phase, for both the World Bank and the ADB assisted projects is the application of a project readiness checklist filter to ensure achievement of critical milestones before every important stage of loan processing. This helps in ensuring that the projects are implemented in timely manner after getting approved. New Project Readiness Checklist has been prepared and is available at the web-site of the Ministry of Finance at http://finmin.nic.in</p> <p>It is submitted that total amount of commitment charge can be brought to zero only under two circumstances: (i) If the funding agency brings down the rate of commitment charge to zero, or</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																																				
9	9	<p>The committee are concerned to note that since November, 2008, while the headline inflation, measured in terms of the Wholesale Price Index (WP1) has gone down drastically till September, 2009 (from 8.48% to 0.50%) the Consumer Price Index (CP1) for both industrial</p>	<p>(ii) the disbursement for the entire fund earmarked for a project is taken within 60 days of signing the agreement. 60 days time limit is uniform for all borrowing countries. It may however be noted that there is regular decline in commitment charges being paid. Currently, the funds committed by the World Bank and ADB for projects are generally released over a period of 3-5 years depending upon the implementation cycle of the projects.</p> <p>The monitoring system has been made more intense with effect from the financial year 2009-10. The effect of the new monitoring mechanism is visible as per recent trends, in the years 2007-08, 2008-09 and 2009-10, commitment charges amounting to Rs.124.54 Crores, 117.38 Crores and Rs. 86.10 Crores respectively has been paid. In the year 2009-10, no commitment charge has been paid in respect of IDA assisted projects. The following table shows the reduction in commitment charges, which is a reflection of the stringent monitoring mechanism adopted by the Department.</p> <p><u>Source-wise Payment of Commitment Charges from 2007-2008 to 2009-2010</u></p> <p style="text-align: right;"><i>(Rs. In crores)</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SL. No.</th> <th>Donor/Country/ Agency</th> <th>2007-08</th> <th>2008-09</th> <th>2009-10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Asian Development Bank</td> <td>62.55</td> <td>62.63</td> <td>53.26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Germany</td> <td>1.72</td> <td>4.17</td> <td>5.57</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>France</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>I B R D</td> <td>35.49</td> <td>35.56</td> <td>27.27</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>I D A</td> <td>24.77</td> <td>15.02</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>124.53</td> <td>117.38</td> <td>86.10</td> </tr> </tbody> </table>	SL. No.	Donor/Country/ Agency	2007-08	2008-09	2009-10	1	Asian Development Bank	62.55	62.63	53.26	2	Germany	1.72	4.17	5.57	3	France	0.00	0.00	0.00	4	I B R D	35.49	35.56	27.27	5	I D A	24.77	15.02	0.00	Total		124.53	117.38	86.10	<p>Government of India in the Ministry of Statistics and Programme Implementation has initiated action on the recommendation of the National Statistical Commission for compilation of new series of Consumer Price Index for urban areas (CPI-Urban) and Consumer Price Index for rural areas (CPI-Rural). CPI (Urban) would be compiled for each State/Union Territory (UT) as well as at all India level. Weighting diagrams (consumption pattern)</p>	<p>Accepted</p> <p>Material given by Central Statistical Organization (CSO), Ministry of Statistics & Programme Implementation.</p>	
SL. No.	Donor/Country/ Agency	2007-08	2008-09	2009-10																																					
1	Asian Development Bank	62.55	62.63	53.26																																					
2	Germany	1.72	4.17	5.57																																					
3	France	0.00	0.00	0.00																																					
4	I B R D	35.49	35.56	27.27																																					
5	I D A	24.77	15.02	0.00																																					
Total		124.53	117.38	86.10																																					

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
10	10	<p>workers and rural labour has increased considerably (10.45% to 11.64% and 11.35% to 12.97% respectively) during the same period. This has given rise to a paradoxical situation, wherein the rate of inflation is shown to be declining, while the actual prices in the market are shooting. The principal factor for such a mis-leading variation in indices is the absence of a realistic/representative price index. As also pointed out by the Ministry of Finance, way back in 2001, the National Statistical Commission had recommended compilation of a realistic/representative price index in the form of CPI (Urban) and CPI (Rural). Clearing the confusion created by the trends being witnessed in the movement of the price indices being an urgent necessity, the Committee desire that the process of acting on the recommendation of the National Statistical Commission for building a realistic price index is expedited. This would also enable the Government to formulate their response in a manner that will not distort their fiscal and monetary policies. The Committee desire to be apprised of the progress made in this regard.</p> <p>Ensuring the interest of genuine account-holders by introducing suitable safeguards in the amendments to Depositories Act proposed to manage</p>	<p>of the CPI (Urban) have been derived from the results of the National Sample Survey 61st round of Consumer Expenditure Survey (2004-05). All cities/towns having population (2001 Population Census) more than 9 lakh and all State/UTs capitals not covered therein were selected purposively. All 310 towns have been selected either on purposive or random basis from which 1114 quotations (price schedules) are canvassed every month. Regular price and rent data are being collected by the National Sample Survey Organization (NSSO), Field Operations Division (FOD). After selection of base year and also compilation of base year prices, new series of CPI (Urban) would be compiled. It is expected that trial indices of CPI (Urban) would be available in 2010.</p> <p>As far as CPI (Rural) is concerned, it would also be compiled and for all States/UTs and for all India. Weighting diagrams of the CPI (Rural) have also been derived from the results of the NSS 61st round of Consumer Expenditure Survey (2004-05). With a view to have a workload within manageable limits and considering the fact that the CPI (Rural) would provide the price changes for the entire rural population of the country, a total of 1183 villages have been selected at all India level. The broad criterion of selection of villages is to have representation of all the districts within State/UT and therefore two villages from each district adjusted on the basis of rural population of the State/UT have been selected randomly from different tehsils.</p> <p>As field investigators of NSSO (FOD) were not available for price collection in the rural areas, this work has been entrusted to the Department of Posts. After training by NSSO (FOD), price data collection work has started from October 2009. It is expected that trial indices of CPI (Rural) would be available in the beginning of 2011.</p> <p>Efforts have been made to inform the beneficial owners to provide PAN and activate the frozen accounts. As per data furnished by the two depositories, the total number of frozen accounts has drastically come down from a little over 43.5 lakh accounts on</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>the frozen demat accounts, while making proper investigation and preventing the fraudulent intent, if any, behind the PAN non-compliant frozen account.</p>	<p>01/01/2007 to about 5.4 lakhs as on 25.05.2010. Correspondingly, the assets in the frozen accounts have come down in value from about Rs. 638318 crore to Rs. 7101 crore for the same period. The details regarding the status of frozen demat accounts received from depositories as on May 25, 2010 are given in Table 1.</p> <p>The proposal for Amendments to the Securities Laws, that includes the proposal to declare the frozen accounts with the Depositories as unclaimed so as to consider their forfeiture and credit the proceeds thereon to the Consolidated Fund of India, is presently under finalization in DEA. Suitable safeguards have been put in to safeguard the interest of the genuine account holders through an elaborate process of due diligence before deciding on the forfeiture of deposits. With respect to such securities which remain unclaimed for a specified period, in brief, it is being proposed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. To transfer such securities within fifteen days to the account of the Commissioner to be appointed for this purpose by the Government. b. The Commissioner, in turn, would carry out due diligence including issuing notices before forming a reasonable belief about the unclaimed nature of the securities and thereafter, declare such securities as unclaimed securities and forfeit these to the Central Government, free from all encumbrances. c. After the date of sale (decided by the Central Government or nominated entity) the proceeds from the sale would be transferred to the Consolidated Fund of India (CFI). d. The Commissioner be vested with all the powers of the civil court for certain matters including summoning and enforcing attendance of any person, requiring discovery and production of documents, receiving evidence on affidavits, requisitioning any public record or copy from any court of office, issuing commissions for examination of witnesses or documents etc. 		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>e. Disputes including claims arising after transfer of sale proceeds of unclaimed securities by the Commissioner to the CFI to be heard by the Securities Appellate Tribunal and appeal thereafter to lie to the Supreme Court.</p> <p>CBDT has informed that the Income tax department is conducting investigations regarding 6385 frozen demat accounts which had balances in excess of approximately Rs. 10 lakh. The investigations are at various stages of completion and the outcome of those which have been completed have been forwarded to their jurisdictional Assessing Officers for taking necessary action under the Income Tax Act to bring to task the undisclosed income / investments if any, detected. In the remaining cases, the investigations are being pursued to their logical conclusion.</p>		

Table:- I

Frozen Demat accounts with the depositories as on 25th May 2010

Name of Depository	Total no. of a/cs as on given date	No. of a/cs which are PAN compliant	No. of a/cs. which were not PAN compliant (frozen) as on 31-12-2006	No. of a/cs that have been unfrozen since 01-01-2007	No. of frozen a/cs as on given date	Out of Col. No. 3, No. of a/cs with nil holding	Out of Col. No. 3, no. of a/cs with holdings	Value of holdings for Col. No. 5 (Rs. in Crore) as on given date
	1	A	B	2	3	4	5 = 3 - 4	6
CDSL	6,685,928	6,604,124	606,945	525,141	81,804	3,479	78,325	759.43
NSDL	1,06,18,514	1,01,56,404	37,44,849	32,82,739	4,62,110	17,043	4,45,067	6,341.14

CDSL : Central Depositories Services (India) Ltd.

NSDL: National Securities Depository Ltd.

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
11	11	<p>As revealed in RBI's quarterly statistics on State-wise distribution of banked centers, the present pattern of spread of banking in the country is very uneven, with 28,232 banking centers having only one office and 61 centres having more than 100 offices. The Committee would like to know the measures being taken by Government/RBI to increase the number of banking centres in areas having negligible presence. Although the Government and RBI are stated to have proposed a number of measures for increasing bank branches in unbanked areas, the Committee are surprised to find that out of 103 unbanked blocks in the country, only about 13 blocks are expected to have bank branches by December, 2009. Though the Finance Minister has assured increasing the banking facility in underbanked areas within next three years, the Ministry has surprisingly not fixed any particular timeframe or target to cover the unbanked areas including the 103 blocks identified. The Committee would expect the Government to ensure that the benefits of banking reach remote and backward areas within a stipulated time-period. As public sector banks legitimately seek to improve their profitability, the socio-economic objectives of</p>	<p>As on March, 2009, there are 31699 rural branches, 19082 semi-urban branches, 16616 urban branches and 15013 metropolitan branches of scheduled commercial banks in the country. The average population per branch is 14000. There are 375 under banked districts and 99 unbanked blocks in the country. A list of under banked districts has been forwarded to banks by RBI to enable them to identify centers for opening branches in such districts. Out of 99 unbanked blocks, 86 are in North East (NE) region. The matter has been taken up with the concerned banks to open branches in these blocks of the NE Region by 31.3.2010. The Ministry of Finance is monitoring progress fortnightly and encouraging banks through the SLBC mechanism to provide bank branches or/and branchless banking facilities in these unbanked blocks.</p> <p>RBI has liberalized the extant Banks Authorisation Policy. Through its circular dated December 1, 2009, RBI has permitted all Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) to open branches in Tier 3 to Tier 6 centres (with population upto 49,999 as per Census 2001) without having the need to take permission from RBI in each case, subject to reporting. Further banks have been permitted to open branches in rural, semi urban & urban centres in the North Eastern States & Sikkim, without prior permission from the RBI. Further, RBI has also relaxed its Branch Authorisation Policy under which Scheduled Commercial Banks (SCBs) including Public Sector Banks are permitted to install offsite ATMs at centers/ places identified by them without having the need to take permission from the RBI. This is expected to result in an expansion of the banking network in the unbanked blocks.</p> <p>Further, on the basis of recommendations of the High Level Committee constituted by RBI under the</p>		<p>As on 31st March 2010, there are 86,777 branches of Scheduled Commercial Banks (SCBs) in the country, out of which 32,301 (37.2%) bank branches are in rural areas, 20,488 (23.6%) in semi-urban areas, 17,881 (20.6%) in urban areas and 16,107 (18.6%) in metropolitan areas. The number of branches in semi-urban and rural areas constitutes around 61% of the total number of branches in the country.</p> <p>At present there are 89 unbanked blocks in the country out of which 80 are in NE Region, 5 in the state of Jharkhand and 4 in Jammu & Kashmir.</p> <p>Besides following up the matter for opening of branches in unbanked blocks with SLBC Convenor Banks, RBI and State Governments, the Department of Financial Services has requested the Home Ministry to also take up the matter with the North Eastern States Governments to provide premises in Government buildings preferably near the local Police Stations.</p> <p>A scheme of providing financial support to banks by</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>banking should not be lost sight of either. In this context, the Committee would like to emphasise that the Government should facilitate expansion of Grameen Banks/Regional Rural Banks (RRBs), as they still remain the most effective system available for ensuring rural credit with their distinct advantages, particularly in the wake of failure of cooperative banking.</p>	<p>chairpersonship of Smt. Usha Thorat, Deputy Governor, RBI has advised the Lead Banks for each district to provide banking services in every village having population over 2000 by March 2011. The Ministry advised the Regional Rural Banks to open 2000 more branches in the next two years i.e upto March 31, 2011.</p> <p>Several Public Sector Banks have also initiated pilot projects through the Business Correspondent Model utilizing the smart card technology, mobile banking, etc. to increase their outreach in interior areas.</p>		<p>the Reserve Bank for setting up banking facilities viz., currency chests, extension of foreign exchange and Government business facilities at "agreed" centers in the North-Eastern Region, which are not found to be economically viable by banks was formulated requiring the State Governments to make available necessary premises and other institutional support. Reserve Bank, as its contribution, would bear the one time capital cost and recurring cost per annum for a limited period of five years as per the lowest bid offered by the Bank.</p> <p>The progress is being monitored with the SLBCs at regular intervals of time.</p> <p>The roadmaps for Financial Inclusion Plans (FIPs) for providing banking facilities in villages having population over 2000 have been finalized by most banks / SLBCs by 31 March, 2010. These plans are being reviewed by the RBI in detail with the Banks prior to operationalization. The SLBC convenors have also been advised to up-load these financial inclusion plans on</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
					<p>their websites in order to facilitate monitoring of the progress by the State Governments, RBI and Government of India.</p> <p>The banks have been advised to select their technologies for branchless banking through the Business Correspondent (BC) model, procure the required hardware/software, identify their business correspondents' state wise and roll out their financial inclusion plans in a time bound manner. Banks have been advised to make efforts to contact the State Governments and ensure that all State Government Social Security benefits are also routed through the banking system, such that financial inclusion becomes viable for the banks and attractive for the villagers.</p> <p>The number of habitations having a population of over 2000 (as per the 2001 census) proposed to be covered under these financial inclusion plans, as per the information received from the SLBC convenors banks is approximately 72,300 .</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
12	12	<p>Surprisingly, the Ministry of Finance does not have ready information on the extent to which the Banking Correspondent/Banking Facilitator (BC/BF) model, initiated in 2006, and under which banks are permitted to engage the services of non-governmental organizations, micro-finance institutions etc. in providing financial and banking services has served in enabling outreach to underbanked areas. As per the submission of the Ministry, issues such as viability of the BC/BFs vis-à-vis bank branches and viability of technology service providers remain to be addressed for the success of the model as a means of financial inclusion. The Committee expect that the hindrances to the success of this model of financial inclusion are addressed in a time bound manner. The Committee also wish to be apprised of the details of the operationalisation of this model and its success in enabling outreach in areas with low banking accessibility.</p>	<p>Banking Correspondent/Banking Facilitator (BC/BF) model is an important initiative of the Reserve Bank of India to ensure a closer relationship between poor people and the organized financial system. In 2006, Reserve Bank of India permitted banks to use the services of non-governmental organizations, micro-finance institutions, retired bank employees, ex-servicemen, retired government employees, Section 25 companies, and other civil society organisations as Business Correspondents in providing financial and banking services.</p> <p>Even as the BC model has taken off, it needs to be fine tuned and monitored appropriately to improve its efficacy, including by better training BCs. Recently, RBI has further enlarged the scope of the BC model by permitting banks to appoint individual kirana/medical/fair price shop owners, individual Public Call Office (PCO) operators, agents of Small Savings schemes and insurance companies, individuals who own petrol pumps, retired teachers and self-help groups linked to banks as BCs. With a view to ensuring the viability of the BC model, banks have also been permitted to collect reasonable service charges from the customer in a transparent manner. Going forward, Reserve Bank of India has stated that it will endeavour to give complete flexibility to banks to appoint BCs with only a negative list of entities that would not be eligible.</p>		<p>The BC Model ensures a closer relationship between poor people and the organized financial system. As on March 2010, banks have reported employing 2301 BCs covering 53382 villages. Of this, public sector banks have reported employing 2128 BCs; private sector banks 172 BCs and foreign banks 1 BC. Based on the recommendations of the Working Group set up for the purpose of reviewing the Business Correspondent model, certain additional entities such as (i) Individual kirana / medical / fair price shop owners (ii) Individual Public Call Office (PCO) operators (iii) Agents of Small Savings schemes of Government of India / Insurance Companies (iv) Individuals who own Petrol Pumps (v) Retired teachers and (vi) Authorised functionaries of well run Self Help Groups (SHGs) linked to banks have been permitted to be engaged by banks as Business Correspondents. This is expected to help in scaling up the financial inclusion efforts of banks substantially. Further, with a view to improving the viability of the</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
13	13	<p>While most of the public sector banks have adhered to the target of adding 250 accounts in rural and semi-urban branches as announced in the interim budget 2009, in pursuance of the recommendation of the Committee on financial inclusion, the information furnished to the Committee with regard to opening of new rural accounts by private sector banks is sketchy and inadequate, thereby indicating absence of monitoring by the</p>	<p>The Reserve Bank of India (RBI) has recently liberalized branch authorization norms for opening branches in unbanked rural areas. It is understood that performance in opening branches in rural and unbanked areas is an important criteria adopted by RBI for granting permission for opening new branches in other areas.</p> <p>The details of data collected by Indian Banks Association (IBA) for Private Sector Banks as regards opening of rural household accounts as on 31st December, 2009 is as per annexure -A.</p> <p>IBA has reported that the Private Sector Banks have lesser number of branches in the rural areas and are</p>		<p>BC model, banks have also been permitted to collect reasonable charges in a transparent manner from the customers to whom banking services are provided through the BC model. As these changes in the guidelines have been effected very recently, it is expected that the implementation of BC model would be scaled up in the days to come.</p> <p>Further, in the annual Policy of the Reserve Bank for the year 2010-11, it has been announced that any individual may be employed as BC by banks, including Common Service centres (CSCs), subject to bank's comfort level and their carrying out due diligence.</p> <p>In order to extend the reach of banking in rural areas, Reserve Bank of India (RBI) has recently permitted all scheduled commercial banks (SCBs), (excluding Regional Rural Banks) to open branches in Tier 3 to Tier 6 centres (with population upto 49,999 as per Census 2001) without having the need to take permission from RBI in each case, subject to reporting. Further banks</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		Ministry. Apparently, neither the Ministry of Finance nor the Indian Banks' Association has ready data on the extent to which the private sector banks have abided by the budget announcement on increasing rural household accounts. The Committee note with strong disapproval the Government's lack of seriousness and softness with regard to the mandate to be fulfilled by private banks. The Committee would like the Government to obtain and furnish the relevant information without further delay. The Committee are also of the opinion that there is a need to devise a system of disincentives to banks which are not willing to open rural branches. They, therefore, recommend that the Government/ RBI must formulate new stringent norms to induce private sector banks to open more branches in rural areas.	not actively involved in handling Government sponsored schemes, disbursement of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) payments, etc.		have been permitted to open branches in rural, semi-urban & urban centres in the North Eastern States & Sikkim, without prior permission from the RBI. RBI has also relaxed its Branch Authorisation policy under which SCBs are permitted to install offsite ATMs at centres / places identified by them without having the need to take permission from the RBI. This is expected to result in further expansion of banking network.

Annexure-A

S.No.	Name of the Bank	No. of Rural/Semi Urban Branches	No. of Rural Household accounts opened as on 31.12.2009
1.	Karnataka Bank	184	11078
2.	Tamilnadu Mercantile	132	23642
3.	HDFC Bank	414	240767
4.	Axis Bank	243	100724
5.	Karur Vysya Bank	34788	
6.	South Indian Bank		63105
7.	Kotak Mahindra Bank	56	466

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
14	14	<p>In the year 2008-09, credit card related complaints received by RBI constituted 25.32% of the total complaints received during the year. For the preceding year, 2007-08, credit card related complaints pertaining to private sector and foreign banks received at the offices of the Banking Ombudsmen, totaled to 22.10% and 50.37% respectively of the total complaints. This points to the fact that banking services are far from satisfactory in credit card related matters. Despite a good percentage of complaints relating to credit cards, surprisingly, RBI study on this matter did not reveal any regulatory lapses at all. The Committee are unhappy to note that the RBI has not been treating credit cards related grievances and complaints of general public with due seriousness. The Committee are of the view that the credit card/debit card services are being marketed and operated in a rather aggressive and exploitative manner, without any regard for customer satisfaction. The Committee, therefore, recommends that the existing guidelines regulating card services should be made more stringent and customer-friendly. Further, the major terms and conditions imposed by the credit card issuing banks should be</p>	<p>Reserve Bank of India had undertaken a study on the credit card operations of banks, based on the complaints received by the Bank as also by the Offices of the Banking Ombudsmen. Based on the findings of the study, a detailed circular was issued to banks on July 23, 2008 covering various aspects relating to credit card operations of banks. The instructions contained in the above circular dated July 23, 2008 have suitably been incorporated in the Master Circular on Credit Card Operations of banks dated July 1, 2009. Some of the important aspects covered in the instructions issued to banks on their credit card operations, as brought out in the Master Circular dated July 1, 2009 are furnished below.</p> <p>(A) Issue of cards</p> <p>a. Banks / NBFCs should ensure prudence while issuing credit cards and independently assess the credit risk while issuing cards to persons, especially to students and others with no independent financial means. Add-on cards i.e. those that are subsidiary to the principal card, may be issued with the clear understanding that the liability will be that of the principal cardholder.</p> <p>b. As holding several credit cards enhances the total credit available to any consumer, banks / NBFCs should assess the credit limit for a credit card customer having regard to the limits enjoyed by the cardholder from other banks on the basis of self declaration / credit information</p> <p>d. While issuing cards, the terms and conditions for issue and usage of a credit card should be mentioned in clear and simple language (preferably in English, Hindi and the local language) comprehensible to a card user. The Most Important Terms and Conditions (MITCs) termed as standard set of conditions, should be highlighted and advertised / sent separately to the</p>	Accepted	<p>Master circular on Credit Card operations issued by RBI, inter-alia, stipulate that the banks should clearly indicate interest rates charged on credit cards under various circumstances, to highlight the Most Important Terms and Conditions to the customer in all their communications, to set up effective grievance redressal machinery, to observe fair practice in debt collection, etc.</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>legible and in bold print for the benefit of the customers and made available in local languages as well.</p>	<p>prospective customer / customers at all the stages i.e. during marketing, at the time of application, at the acceptance stage (welcome kit) and in important subsequent communications.</p> <p>(B) Interest rates and other charges</p> <p>Credit card dues are in the nature of non-priority sector personal loans and as such banks are free to determine the rate of interest on credit card dues without reference to their BPLR and regardless of the size in terms of the Master Circular on Interest rates on advances.</p> <p>Banks have also been advised that they should prescribe a ceiling rate of interest, including processing and other charges, in respect of small value personal loans and loans similar in nature. The above instructions are applicable to credit card dues also. In case, banks / NBFCs charge interest rates which vary based on the payment / default history of the cardholder, there should be transparency in levying of such differential interest rates. In other words, the fact that higher interest rates are being charged to the cardholder on account of his payment / default history should be made known to the cardholder. For this purpose, the banks should publicize through their website and other means, the interest rates charged to various categories of customers. Banks / NBFCs should upfront indicate to the credit card holder, the methodology of calculation of finance charges with illustrative examples, particularly in situations where a part of the amount outstanding is only paid by the customer.</p> <p>Further, The banks / NBFCs have to adhere to the following guidelines relating to interest rates and other charges on credit cards :</p> <p>a. Card issuers should ensure that there is no delay in dispatching bills and the customer has sufficient</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>number of days (at least one fortnight) for making payment before the interest starts getting charged. In order to obviate frequent complaints of delayed billing, the credit card issuing bank / NBFC may consider providing bills and statements of accounts online, with suitable security built therefor. Banks / NBFCs could also consider putting in place a mechanism to ensure that the customer's acknowledgement is obtained for receipt of the monthly statement.</p> <p>b. Card issuers should quote Annualized Percentage Rates (APR) on card products (separately for retail purchase and for cash advance, if different). The method of calculation of APR should be given with a couple of examples for better comprehension. The APR charged and the annual fee should be shown with equal prominence. The late payment charges, including the method of calculation of such charges and the number of days, should be prominently indicated. The manner in which the outstanding unpaid amount will be included for calculation of interest should also be specifically shown with prominence in all monthly statements. Even where the minimum amount indicated to keep the card valid has been paid, it should be indicated in bold letters that the interest will be charged on the amount due after the due date of payment.</p> <p>c. The banks / NBFCs should not levy any charge that was not explicitly indicated to the credit card holder at the time of issue of the card and without getting his / her consent. However, this would not be applicable to charges like service taxes, etc. which may subsequently be levied by the Government or any other statutory authority.</p> <p>d. Changes in charges (other than interest) may be made only with prospective effect giving notice of at least one month. If a credit card holder desires to</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>surrender his credit card on account of any change in credit card charges to his disadvantage, he may be permitted to do so without the bank levying any extra charge for such closure. Any request for a closure of a credit card has to be honoured immediately by the credit card issuer, subject to full settlement of dues by the cardholder.</p> <p>e. There should be transparency (without any hidden charges) in issuing credit cards free of charge during the first year.</p> <p>(C) Use of DSAs / DMAs and other agents</p> <p>a. When banks / NBFCs outsource the various credit card operations, they have to be extremely careful that the appointment of such service providers does not compromise with the quality of the customer service and the banks' / NBFCs' ability to manage credit, liquidity and operational risks.</p> <p>b. In terms of the BCSBI's Code of Bank's Commitment to Customers, banks which have subscribed to the Code are required to prescribe a Code of Conduct for their Direct Sales Agents (DSAs) whose services are engaged by banks for marketing their products / services. Banks should ensure that the DSAs engaged by them for marketing their credit card products scrupulously adhere to the banks' / NBFCs' own Code of Conduct for Credit Card operations which should be displayed on the individual bank's / NBFC's website and be available easily to any credit card holder.</p> <p>c. The bank / NBFC should have a system of random checks and mystery shopping to ensure that their agents have been properly briefed and trained in order to handle with care and caution their responsibilities, particularly in the aspects included in these guidelines like soliciting customers, hours for calling, privacy of customer information, conveying the correct terms and conditions of the product on offer, etc.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>(D) Right to privacy</p> <p>a. Unsolicited cards should not be issued. In case, an unsolicited card is issued and activated without the written consent of the recipient and the latter is billed for the same, the card issuing bank shall not only reverse the charges forthwith, but also pay a penalty without demur to the recipient amounting to twice the value of the charges reversed.</p> <p>b. In addition, the person in whose name the card is issued can also approach the Banking Ombudsman who would determine the amount of compensation payable by the bank to the recipient of the unsolicited card as per the provisions of the Banking Ombudsman Scheme 2006.</p> <p>c. The card issuing bank / NBFC should not unilaterally upgrade credit cards and enhance credit limits. Prior consent of the borrower should invariably be taken whenever there are any change/s in terms and conditions.</p> <p>d. Banks / NBFCs / their agents should not resort to invasion of privacy viz., persistently bothering the card holders at odd hours, violation of "do not call" code etc.</p> <p>(E) Fair Practices in debt collection</p> <p>(a) In the matter of recovery of dues, banks should ensure that they, as also their agents, adhere to the extant instructions on Fair Practice Code for lenders as also BCSBI's Code of Bank's Commitment to Customers (those banks which have subscribed to the BCSBI Code). In case banks have their own code for collection of dues, they should, at the minimum, incorporate all the terms of BCSBI's Code referred above.</p> <p>(b) In particular, in regard to appointment of third party agencies for debt collection, it is essential that such agents refrain from action that could damage</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>the integrity and reputation of the bank / NBFC and that they observe strict customer confidentiality. All letters issued by recovery agents must contain the name and address of a responsible senior officer of the card issuing bank whom the customer can contact at his location.</p> <p>(c) Banks / NBFCs / their agents should not resort to intimidation or harassment of any kind, either verbal or physical, against any person in their debt collection efforts, including acts intended to humiliate publicly or intrude the privacy of the credit card holders' family members, referees and friends, making threatening and anonymous calls or making false and misleading representations.</p> <p>(d) The banks should also ensure to comply with the guidelines dated April 24,2008 in respect of engagement of recovery agents issued by RBI. These guidelines inter-alia cover aspects relating to i) engagement of Recovery Agents including verification of antecedents of their employees by agents, (ii) incentives to recovery agents - banks to ensure that contracts with the recovery agents do not induce adoption of uncivilized, unlawful and questionable behaviour or recovery process, (iii) methods followed by recovery agents, (iv) training to recovery agents , (v) taking possession of property mortgaged / hypothecated to banks, (vi) use of forum of Lok Adalats, (vii) complaints against the bank/ recovery agents and (viii) periodical review of the recovery agents' mechanism.</p> <p>(F) Redressal of Grievances</p> <p>a. Generally, a time limit of 60 (sixty) days may be given to the customers for preferring their complaints / grievances.</p> <p>b. The card issuing bank / NBFC should constitute Grievance Redressal machinery within the bank / NBFC and give wide publicity about it through</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>electronic and print media. The name and contact number of designated grievance redressal officer of the bank / NBFC should be mentioned on the credit card bills. The designated officer should ensure that genuine grievances of credit card subscribers are redressed promptly without involving delay.</p> <p>c. Banks / NBFCs should ensure that their call centre staff are trained adequately to competently handle all customer complaints.</p> <p>d. Banks / NBFCs should also have a mechanism to escalate automatically unresolved complaints from a call center to higher authorities and the details of such mechanism should be put in public domain through their website.</p> <p>e. The grievance redressal procedure of the bank / NBFC and the time frame fixed for responding to the complaints should be placed on the bank's website. The name, designation, address and contact number of important executives as well as the Grievance Redressal Officer of the bank / NBFC may be displayed on the website. There should be a system of acknowledging customers' complaints for follow up, such as complaint number / docket number, even if the complaints are received on phone.</p> <p>f. If a complainant does not get satisfactory response from the bank / NBFC which is a subsidiary of a bank within a maximum period of thirty (30) days from the date of his lodging the complaint, he will have the option to approach the Office of the concerned Banking Ombudsman for redressal of his grievance/s. The bank / NBFC which is a subsidiary of a bank shall be liable to compensate the complainant for the loss of his time, expenses, financial loss as well as for the harassment and mental anguish suffered by him for the fault of the bank and where the grievance has not been redressed in time.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
			<p>(G) Internal control and monitoring systems With a view to ensuring that the quality of customer service is ensured on an on-going basis in Banks / NBFCs, the Standing Committee on Customer Service in each bank / NBFC should review on a monthly basis the credit card operations including reports of defaulters to the CIBIL, credit card related complaints and take measures to improve the services and ensure the orderly growth in the credit card operations. Banks should put up detailed quarterly analysis of credit card related complaints to their Top Management. Card issuing banks should have in place a suitable monitoring mechanism to randomly check the genuineness of merchant transactions.</p> <p>(H) Fraud Control</p> <p>(i) Banks/ NBFCs should set up internal control systems to combat frauds and actively participate in fraud prevention committees / task forces which formulate laws to prevent frauds and take proactive fraud control and enforcement measures.</p> <p>(ii) With a view to reducing the instances of misuse of lost/stolen cards, it is recommended to Banks / NBFCs that they may consider issuing (i) cards with photographs of the cardholder (ii) cards with PIN and (iii) signature laminated cards or any other advanced methods that may evolve from time to time.</p> <p>(iii) Banks are advised to block a lost card immediately on being informed by the customer and formalities, if any, including lodging of FIR can follow within a reasonable period.</p> <p>(iv) Banks may consider introducing, at the option of the customers, an insurance cover to take care of the liabilities arising out of lost cards. In other words, only those cardholders who are ready to bear the cost of the premium should be provided an appropriate insurance cover in respect of lost cards.</p>		

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
15	15	<p>Another disquieting aspect concerns rate of interest on credit card payments. Banks have been complete freedom to charge any rate of interest regardless of their Benchmark Prime Lending Rate, thereby enabling them to charge exorbitant/usurious interest. The Committee would recommend that the interest rate charged on credit card outstanding as well as the financial charges levied should not remain open-ended, left to the discretion of the bank. The RBI should review the matter and reformulate their guidelines/ norms governing credit card services with a view to providing the much needed relief to the general public. RBI may also consider using photo-identity credit cards to prevent frauds.</p>	<p>RBI has Observed that Credit card dues are in the nature of non-priority sector personal loans and as such banks are free to determine the rate of interest on credit card dues without reference to their BPLR and regardless of the size in terms of the Master Circular on Interest rates on advances. Further, In order to make credit card operation transparent and fair various guidelines issued by RBI have already been enumerated in reply to Point No.14.</p>	Not Accepted	<p>As a part of Financial Sector liberalization RBI has moved away from interest rate regulation since 1994. Therefore reintroducing interest rate regulation in credit card loans would result in RBI moving back towards micro management. Further, this issue of interest rate on credit cards is also pending for decision before Hon'ble Supreme Court.</p>
16	16	<p>The Committee notice that the Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) has been apprised by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) about a number of cases involving misuse of Bank draft facility. The Committee are dismayed that the RBI has however, failed to detect such cases during their inspection. This cannot but be suggestive of laxity in the monitoring/regulatory system of RBI. The Committee gathers that a Group has been formed to examine this issue. The Committee would</p>	<p>A Group comprising of representatives from CEIB, CBDT, FIU, ED and RBI was set up in October, 2008 to examine a similar issue of Street Financing. The report of the Group is being finalized for submission to the Government of India. The recommendations of the Group were sent to RBI who have inter-alia suggested that as this is a matter of serious interest to the banking and mercantile community, the views of organizations like Indian Banks' Association (IBA), Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) etc should be called for. Accordingly, comments of FICCI and Indian Banks' Association were also sought on the subject. So far IBA has given their interim observations wherein they have stated that they are seeking the views of their member banks</p>	Accepted	<p>The committee was constituted by Department of Revenue to examine the issues related to exclusion of Drafts and cheques as negotiable instruments under Negotiable Instruments Act which also comprised of RBI and IBA. In so far as RBI and IBA are concerned, they did not agree to the proposed amendments.</p>

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
17	17	<p>like to be apprised about their findings and the action taken by the Government to implement them."</p> <p>After getting relief from insurance ombudsman, policyholders continue to suffer due to laxity on the part of insurers to settle awards fast. The committee, therefore, recommends that the IRDA should take up the issue of grievance-redressal in the insurance sector immediately and consider imposition of penalty on the insurers in cases of non-compliance beyond reasonable period.</p>	<p>on the above issue and thereafter they will revert to us in the matter as early as possible. FICCI has not responded so far.</p> <p>IRDA is initiating appropriate action to deal with delay in compliance of awards by insurers. IRDA has also set up grievance cells for life and non-life insurance respectively. The cells facilitate resolution by taking up the grievances with insurance companies and monitoring their disposal. In order to review and further strengthen the system of grievance redressal, IRDA has set up the Kamesam Committee to make recommendations in this regard.</p>	Accepted	
18	18	<p>The Committee regret to note that the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) continues to retain its surplus funds, instead of depositing it into the Public Account of India, despite the Committee's recommendation to this effect earlier. This is also contrary to the advice of the Ministry of Law, which suggested that the surplus funds be kept in the Public Account of India. Similarly, even in the case of the Securities & Exchange Board of India (SEBI), it is seen that penalty proceeds are credited to the Consolidated Fund of India, while all other funds are being transferred to SEBI General Fund. The Committee notes that following the advice of the Director General of</p>	<p>The Budget Division of Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance has framed the guidelines to operationalize the SEBI & IRDA funds in the Public Account of India and conveyed to the Chief Controller of Accounts(CCA) of the Ministry of Finance. The CCA has been requested to draw up the detailed accounting procedure and to take up with the Controller General of Accounts (CGA),Ministry of Finance for obtaining the concurrence of the Comptroller & Auditor General of India (C& AG), including opening of related heads of accounts in the Public Account of India.</p> <p>The Ministry of Law has been consulted in the matter which is being pursued with the concerned organizations.</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
19	19	<p>Audit Central Revenues (DGACR) to keep the SEBI fund also in the Public Account, the Government is presently considering the issue. The Committee would expect the Ministry to take an early decision to thrash out this lingering issue once and for all, so as to maintain uniformity in approach for all regulators including IRDA and SEBI. The Committee would like to be apprised of the decision in the matter.</p> <p>The Committee are concerned to note that there have been huge savings/unspent funds by various Ministries/Departments during the last five years on both revenue and capital accounts. Ministries/Departments such as Department of Food and Public Distribution, Ministry of Defence, Ministry of Environment, Department of Economic Affairs, Department of Health, Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Broadcasting, Department of Urban Development have reported savings in both accounts consecutively during the last five years. More disturbing is the fact that Departments such as Heavy Industry, Space, Urban Development, Department of Revenue-Indirect Taxes, Ministry of Power, Ministry of Road Transport</p>	<p>An analysis on the savings occurring in the Grants/Appropriation of Ministries/Departments during the financial years 2005-06, 2006-07 and 2007-08 has been carried out by the Ministry of Finance. It is seen from the analysis made that the surrender of savings as shown in the Accounts consists of two components as under:</p> <p>(i) funds surrendered during the course of Financial Year in Capital Section to utilize the same amount in the Revenue Section and Vice-versa; and</p> <p>(ii) The savings surrendered at the end of a particular Year.</p> <p>In fact the funds surrendered during the course of a Financial Year is not savings, as the funds so surrendered in one section of the Grant is utilized in the other Section of the same Grant by way of taking a technical Supplementary Demands for Grants. Thus the unspent balances are much less than what has been reported in the Appropriation Accounts as has already been explained in the reply. However, the Ministry of Finance is closely monitoring the unspent balances. Hon'ble Finance Minister has instructed all the Financial Advisers of the various Departments,</p>	Accepted	

Sl. No.	Recommendation/ Para No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		<p>and Highways etc. have registered huge savings in the capital account during the same period indicating either improper projections of budgetary requirements or gross underutilization of funds. Under-utilization of funds under the capital account also points to the fact that development oriented activities/ investment have been seriously curtailed. The reasons furnished for repeated occurrence of huge savings also appear to be perfunctory and routine. The committee also disprove of the Government's failure to maintain centralized records preventing it from ascertaining whether the savings have been effected through cost-reduction/economy measures or due to faulty projections. In their view, given the huge occurrence of savings/unspent funds, it is imperative on the part of the Government to analyse the causes, so as not to continue disbursing grants in a routine manner each year, even when these are not being utilized. The Committee therefore, recommend that expenditure date should be maintained and monitored in a centralized manner to enable analysis of the reasons for savings. In this connection, the Committee also desire to know the debt liability Implications of the amount remaining unspent and measures taken by the Government to reduce the same.</p>	<p>in a meeting held in October, 2009. that the unspent balances should be factored in while making further releases.</p>		